राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश

का

कार्य-विवरण

1995-96

-542
309.26
UTT-R

नियोजन विभाग
उत्तर प्रदेश

विषय सूची

	अध्याय		पृष्ठ संख्या
1	भूमिका	..	1–2
2	प्रशासन एवं व्यय	..	3–4
3	अर्थ एवं संख्या प्रभाग	..	5–15
4	विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग	..	16–22
5	मूल्यांकन प्रभाग	..	23
6	प्रशिक्षण प्रभाग	..	24
7	क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग	..	25–26
8	दीर्घकालीन योजना प्रभाग	..	27–28
9	जनशक्ति नियोजन प्रभाग	..	29
10	योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग	..	30–31
11	प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग	..	32–35
12	उत्तरांचल प्रभाग	..	36–37
	परिशिष्ट—1—(राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश का व्यय विवरण)	..	
	परिशिष्ट—2—(पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड एवं उसकी स्थाई समिति, व्यय वित्त समिति तथा नोडल समिति का संगठन एवं कार्य क्षेत्र)	..	II–VI

NIEPA DC

D09490

-542
309.25
UTT-R

& DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9490
Date 25-4-97

अध्याय 1

भूमिका

1.1 राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश का गठन 5 नवम्बर, 1971 को प्रदेश के नियोजित विकास हेतु नियोजन प्रक्रिया को वैज्ञानिक आधार के साथ प्रभावी एवं सुदृढ़ बनाने तथा योजना को योजना निर्माण के लिये आधारभूत आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ ही अन्य तकनीकी सहायता एवं सहयोग प्रदान करने के उद्देश्य से किया गया था । सचिव, नियोजन विभाग, उ0 प्र0 शासन इस संस्थान के पदेन अध्यक्ष हैं । वर्ष 1995– 96 में इस संस्थान के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रभाग कार्यरत रहे: ––

1 अर्थ एवं संख्या प्रभाग,

2 विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग,

3 मूल्यांकन प्रभाग,

4 प्रशिक्षण प्रभाग,

5 क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग,

6 दीर्घकालीन योजना प्रभाग,

7 जनशक्ति नियोजन प्रभाग,

8 योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग,

9 प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग,

10 उत्तराखंड प्रभाग ।

1.2––राज्य नियोजन संस्थान के अन्तर्गत कार्यरत उक्त प्रभागों में से अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा प्रदेश में योजना निर्माण के लिये प्राथमिक एवं द्वितीयक आधारभूत आकड़ों का विभिन्न सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्रीकरण एवं विश्लेषण करके उन पर आधारित प्रकाशन तैयार किए जाते हैं । इसके अतिरिक्त प्रदेश की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन एवं समीक्षा का महत्वपूर्ण कार्य भी सम्पादित किया जाता है । राज्य एवं केन्द्र सरकार के विभागों एवं अधिष्ठान के उपयोग-कर्ताओं को उनको आवश्यकतानुसार उपलब्ध आंकड़ों की पूर्ति का कार्य भी इस प्रभाग द्वारा किया जाता है । इसी प्रकार विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग द्वारा अग्रगामी प्रयोगों के माध्यम से ग्रामीण विकास के शोध एवं अध्ययन सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये जाते हैं । इन अग्रगामी प्रयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय परिस्थितियों में नये विकास कार्यक्रमों की सम्भाव्यता आदि का परीक्षण किया जाता है और समग्र दृष्टि से सफल कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु संबंधित विभागों को स्थानान्तरित कर दिया जाता है । संस्थान के मूल्यांकन प्रभाग द्वारा मुख्यतः कार्यान्वित विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों के सामयिक मूल्यांकन संबंधी कार्य सम्पादित किया जाता है जिससे विभिन्न विकास कार्यक्रमों योजनाओं की सफलता की दशाओं तथा असफलता के कारणों एवं समस्याओं का अभिज्ञान करके उनके निराकरण हेतु सुझाव प्रस्तुत किए जाते हैं जिससे इनमें सुधार हेतु निर्णय लेने में विभागीय अधिकारियों को सहायता मिलती है । प्रदेश के विकास विभागों में कार्यरत विभिन्न स्तरों के अधिकारियों/कर्मचारियों की दक्षता एवं क्षमता में अभिवृद्धि करने हेतु नियोजन प्रक्रिया की नवीनतम विकसित तकनीक एवं अवधारणाओं संबंधी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन प्रशिक्षण प्रभाग द्वारा किया जाता है । अविकसित तथा अल्प विकसित क्षेत्रों के लिये विशेष योजनायें तैयार करने हेतु अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं के अभिज्ञान संबंधी अध्ययन कार्य क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग द्वारा तथा दीर्घकालीन योजनाओं हेतु अर्थ व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन एवं प्रक्षेपण का कार्य दीर्घकालीन योजना प्रभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है । इसके अतिरिक्त जनशक्ति संबंधी विभिन्न पहलुओं का अध्ययन एवं विश्लेषण का कार्य जन–शक्ति नियोजन प्रभाग द्वारा सम्पन्न किया जाता है । प्रदेश के विभिन्न विकास विभागों एवं निगमों की चयनित वृहद परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति का अनुश्रवण करके उसमें आने वाले अवरोधों के निवारणार्थ उपयुक्त सुझाव देने और उनके "कास्ट ओवर रन" तथा "टाइम ओवर रन" को नियंत्रित करने हेतु सुझावात्मक एवं विश्लेषणात्मक रिपोर्ट योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग द्वारा शासन को उपलब्ध कराई जाती है । संस्थान के प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा विभिन्न विकास परियोजनाओं की वित्तीय साध्यता, तकनीकी सम्भाव्यता तथा आर्थिक एवं सामाजिक लाभप्रदता का परीक्षण संबंधी कार्य किया जाता है । उत्तराखण्ड प्रभाग द्वारा उत्तराखण्ड क्षेत्र के आयोजनागत कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने तथा नियोजन प्रक्रिया को गतिशील बनाने में उत्तराखण्ड विकास विभाग को सहायता करने संबंधी कार्य किया जाता है ।

1.3--संस्थान के विभिन्न प्रभागों के प्रशासन एवं व्यय संबंधी विवरण अध्याय-2 तथा वर्ष 1995-96 में उनके द्वारा सम्पादित कार्यों का विस्तृत विवरण अध्याय-3 से अध्याय-12 में प्रस्तुत किया गया है । राज्य नियोजन संस्थान का संगठनात्मक स्वरूप निम्नानुसार है :--

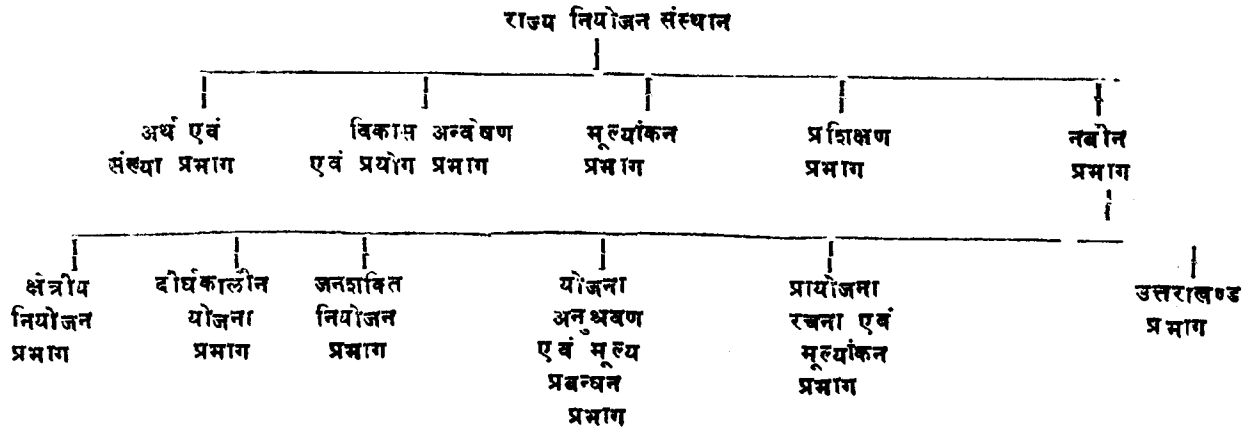

अध्याय 2

प्रशासन एवं व्यय

2.1--राज्य नियोजन संस्थान के अन्तर्गत कार्यरत 10 प्रभागों में से अर्थ एवं संख्या प्रभाग, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग तथा उत्तराखण्ड प्रभाग को छोड़कर अन्य सभी प्रभाग राज्य मुख्यालय तक ही सीमित हैं। संस्थान का अर्थ एवं संख्या प्रभाग ही एक मात्र ऐसा प्रभाग है जिसके कार्यालय राज्य मुख्यालय के अतिरिक्त सभी जनपदों एवं मण्डल स्तर पर स्थित हैं। विकास खण्ड स्तर पर भी इस प्रभाग का एक-एक कर्मचारी सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी) पदनाम से नियुक्त है। उत्तराखण्ड प्रभाग का एक-एक कार्यालय कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डलों में भी स्थित है। इसके अतिरिक्त विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग द्वारा सम्पादित शोध कार्यों के परीक्षण हेतु अजीतमल (इटावा), फूलपुर (इलाहाबाद) आदि कतिपय क्षेत्रीय प्रयोगशालायें भी कार्यरत हैं। इस संस्थान के अधीन सभी प्रभागों के क्षेत्र एवं मुख्यालय स्तरीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पदों से सम्बन्धित दिनांक 1 जनवरी, 1995 की स्थिति निम्नानुसार है :--

	राजपत्रित			अराजपत्रित			योग		
	कुल पद	भरे हुए पद		कुल पद	भरे हुए पद		कुल पद	भरे हुए प	
		कुल	अनुसूचित जाति/ जनजाति		कुल	अनुसूचित जाति/ जनजाति		कुल	अनुसूचि जाति/ जनजाति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1--अर्थ एवं संख्या प्रभाग*	195	110	18	2595	2030	385	2790	2140	403
2--विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग*	38	14	..	306	178	36	344	192	36
3--मूल्यांकन प्रभाग	31	12	1	128	109	17	159	121	18
4--प्रशिक्षण प्रभाग	13	5	1	43	39	8	56	44	9
5--अन्य 6 नवीन प्रभाग	108	55	6	289	199	52	397	254	58
योग ..	385	196	26	3361	2555	498	3746	2751	524

*(उक्त विवरण में आई0 ए0 एस0/पी0 सी0 एस0 सम्वर्ग के अधिकारियों सम्बन्धी सूचना सम्मिलित नहीं है।)

2.2--उक्त तालिका से विदित होता है कि राज्य नियोजन संस्थान के अधीन कुल 3746 स्वीकृत पदों में से 2790 (74.5 प्रतिशत) पद अर्थ एवं संख्या प्रभाग में, 344 (9.2 प्रतिशत) पद विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग में, 159 (4.2 प्रतिशत) पद मूल्यांकन प्रभाग में, 56 (1.5 प्रतिशत) पद प्रशिक्षण प्रभाग में तथा 397 (10.6 प्रतिशत) पद अन्य 6 नवीन प्रभागों में सृजित थे। इन कुल स्वीकृत/सृजित पदों में से 2751 (73.4 प्रतिशत) पद भरे हुए तथा 995 (26.6 प्रतिशत) पद रिक्त थे। संस्थान के 10 प्रभागों में कुल स्वीकृत पदों में से अर्थ एवं संख्या प्रभाग में 76.7 प्रतिशत, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग में 55.8 प्रतिशत, मूल्यांकन प्रभाग में 76.1 प्रतिशत, प्रशिक्षण प्रभाग में 78.6 प्रतिशत तथा अन्य 6 नवीन प्रभागों में 64.0 प्रतिशत पद भरे हुए थे।

2.3--राज्य नियोजन संस्थान के सभी प्रभागों में भरे हुए कुल 2751 पदों में से 524 (19.0 प्रतिशत) पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति कार्यरत थे। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की प्रभागवार विवेचना करने पर विदित होता है कि अर्थ एवं संख्या प्रभाग में 18.8 प्रतिशत, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग में 18.8 प्रतिशत, मूल्यांकन प्रभाग में 14.8 प्रतिशत, प्रशिक्षण प्रभाग में 20.5 प्रतिशत तथा अन्य 6 नवीन प्रभागों में 22.8 प्रतिशत पदों पर अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्ति नियुक्त थे।

2.4--शासन द्वारा निर्धारित समय के विभिन्न वर्गों हेतु आरक्षण कोटे को भरने के लिये सीधी भर्ती के पदों पर चयन के साथ तथा पदोन्नति के पदों पर उपलब्ध अर्ह व्यक्तियों को दृष्टिगत रखते हुए निरन्तर प्रयास किये

जाते हैं । अर्थ एवं संख्या प्रभाग में प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के अनुसूचित जाति/जनजाति के पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही शासन द्वारा की जा चुकी है । लोक सेवा आयोग की परिधि में आने वाले राजपत्रित पदों पर अधियाचन भेजे जा चुके हैं जिसमें कोटे का उल्लेख कर दिया गया है । आयोग की परिधि के बाहर रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही की जा रही है । नियुक्ति के समय कोटे की कमी को देखते हुए कार्यवाही की जायेगी । मूल्यांकन प्रभाग में राजत्रित पदों को भरने की कार्यवाही शासन द्वारा की जाती है । अराजपत्रित पदों में स्थानापन्न रूप से पद रिक्त हैं । कुछ पदों का अधियाचन भेजा गया है । प्रशिक्षण प्रभाग तथा नवीन प्रभागों में अनुसूचित जाति/जनजाति का आरक्षण कोटा लगभग पुर्ण है । संस्थान के सभी प्रभागों द्वारा आरक्षण कोटा पूर्ण करने के निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं ।

2.5--राज्य नियोजन संस्थान के अर्थ एवं संख्या प्रभाग, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग, मूल्यांकन प्रभाग, प्रशिक्षण प्रभाग तथा उत्तराखण्ड प्रभाग का बजट अलग-अलग है । 5 नवीन प्रभागों का बजट सम्मिलित बजट है । संस्थान के विभिन्न प्रभागों के वर्ष 1994-95 का वास्तविक व्यय तथा वर्ष 1995-96 के अनुमानित व्यय सम्बन्धी सूचना परिशिष्ट-1 में दर्शायी गई है । उक्त परिशिष्ट से विदित होता है कि वर्ष 1994-95 में संस्थान के समस्त प्रभागों में हुए कुल 1254.77 लाख रुपये के व्यय में से वेतन पर 481.27 लाख रुपये (38.4 प्रतिशत), भत्ते तथा मानदेय पर 605.17 लाख रुपये (48.2 प्रतिशत) तथा अन्य आकस्मिक व्यय पर 168.33 लाख रुपये (13.4 प्रतिशत) का व्यय हुआ । इसी प्रकार वर्ष 1995-96 के अनुमानित कुल 1515.85 लाख रुपये के व्यय में से 34.8 प्रतिशत वेतन पर, 52.0 प्रतिशत भत्ते तथा मानदेय पर एवं 13.2 प्रतिशत अन्य आकस्मिक व्यय पर व्यय होना सम्भावित है । वर्ष 1994-95 में संस्थान के कुल व्यय में से आयोजनेतर मद में 90.3 प्रतिशत (1132.87 लाख रुपये) तथा आयोजनागत मद में 9.7 प्रतिशत (121.90 लाख रुपये) रहा । इसी प्रकार वर्ष 1995-96 के कुल अनुमानित व्यय में से आयोजनेतर मद में 90.3 प्रतिशत (1369.08 लाख रुपये) तथा आयोजनागत मद में 9.7 प्रतिशत (146.77 लाख रुपये) का व्यय होना सम्भावित है । संस्थान के लगभग समस्त प्रभागों का कार्य अधिष्ठानपरक होने के कारण वेतन एवं भत्तों पर व्यय अंश ही प्रमुख है ।

अध्याय 3

अर्थ एवं संख्या प्रभाग

3.1--प्रदेश के सर्वांगीण एवं समन्वित विकास हेतु योजना निर्माण के लिये आधारभूत आंकड़े तथा विश्लेषणात्मक विवरण उपलब्ध कराने तथा प्रदेश में कार्यान्वित किये जा रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों के सामयिक अनुश्रवण तथा मूल्यांकन करने में इस प्रभाग द्वारा महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया जाता है। प्रभाग द्वारा प्रमुख रूप से राष्ट्रीय प्रतीक सर्वेक्षण, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण, कर्मचारी संगणना तथा विद्युत उपभोग सर्वेक्षण के माध्यम से राज्य की अर्थ व्यवस्था के विभिन्न खण्डों एवं सामाजार्थिक विषयक महत्वपूर्ण प्राथमिक आंकड़ों के एकत्रीकरण के उत्तरदायित्व का निर्वहन किया जाता है। उपरोक्त सन्दर्भित कार्य के अतिरिक्त यह प्रभाग द्वितीयक आंकड़ों का संग्रह, संकलन, सारिणीयन तथा विश्लेषण भी करता है। प्रभाग द्वारा प्रत्येक माह कृषीय एवं अकृषीय वस्तुओं के ग्रामीण फुटकर भाव, नगरीय थोक एवं फुटकर भाव और ग्रामीण एवं नगरीय अमानी मजदूरी की दरें संग्रह कर इन पर आधारित ग्रामीण तथा नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक, ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी की दरों के सूचकांक तथा थोक भाव सूचकांक तैयार किये जाते हैं। प्रमुख कारखानों से औद्योगिक उत्पाद के आंकड़े एकत्र कर प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक तैयार करने, प्रदेश के कृषीय उत्पादन सूचकांक तैयार करने, राज्य आय अनुमान, जिला घरेलू शुद्ध उत्पाद के अनुमान तैयार करने का महत्वपूर्ण कार्य भी इस प्रभाग द्वारा किया जाता है। प्रदेश के विभिन्न विकास विभागों के सांख्यिकीय कार्यों एवं आंकड़ों में समन्वय स्थापित करने में भी इस प्रभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों तथा अन्य संस्थाओं की सांख्यिकी से सम्बन्धित अवश्यकताओं की पूर्ति भी इसी प्रभाग द्वारा की जाती है। विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिला स्तरीय योजनाओं की संरचना, योजना संरचना हेतु जनपद एवं विकास खण्ड स्तर पर वांछित सांख्यिकीय आधार उपलब्ध कराना और 20 सूत्री कार्यक्रम की मासिक अनुश्रवण रिपोर्ट तैयार करने सम्बन्धी उल्लेखनीय कार्य भी इस प्रभाग द्वारा ही सम्पादित किये जाते हैं।

3.2--यह प्रभाग आर्थिक बोध एवं संख्या निदेशक के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करता है। प्रभाग मुख्यालय पर तकनीकी कार्य के सम्पादन हेतु अपर निदेशक (तकनीकी) का एक, संयुक्त निदेशक के दो (एक पद कम्प्यूटर सम्बन्धी कार्य के लिये), उप निदेशक के पांच, उप निदेशक (कम्प्यूटर) के दो, प्रोग्रामर के चार, अर्थ एवं संख्याधिकारी के चौबह, चीफ कार्टोग्राफर का एक तथा मुख्य रेखा चित्रकार का एक पद सृजित है। प्रशासनिक कार्यों में निदेशक की सहायता के लिये पी0 सी0 एस0 सम्वर्ग का उपनिदेशक (प्रशासन)/संयुक्त निदेशक प्रशासन/अपर निदेशक (प्रशासन) का भी एक पद स्वीकृत है। इसके अतिरिक्त सहायक लेखाधिकारी का एक, निदेशक के वैयक्तिक सहायक का एक, अपर अर्थ एवं संख्याधिकारी के 16, सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी के 89, अर्थ एवं संख्या निरीक्षक के 79, रेखा चित्रकार के 3, सहायक रेखा चित्रकार के 4 तथा अनुसचिवीय सेवा के 105 पद भी स्वीकृत हैं।

मण्डल स्तर पर सांख्यिकीय कार्यों के सम्पादन हेतु एक-एक उप निदेशक कार्यालय भी कार्यरत हैं। इस कार्यालय का प्रशासनिक एवं तकनीकी कार्य उप निदेशक (अर्थ एवं संख्या) के नियंत्रण एवं देखरेख में सम्पादित किया जाता है। उप निदेशक के सहायतार्थ प्रत्येक मण्डलीय कार्यालय में एक अर्थ एवं संख्याधिकारी के अतिरिक्त सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी, कार्टोग्राफिक सहायक तथा अनुसूचिवीय सेवा के पद भी स्वीकृत हैं।

जनपद स्तर पर सांख्यकीय कार्यों एवं जिला योजना संरचना में सहायता के लिये अर्थ एवं संख्याधिकारी के दो-दो पदों (जनपद कानपुर नगर को छोड़कर जहां अर्थ एवं संख्याधिकारी का एक ही पद सृजित है) के अतिरिक्त सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी, कार्टोग्राफिक असिस्टेन्ट, अर्थ एवं संख्या निरीक्षक तथा अनुसचिवीय सेवा के पद भी सृजित हैं।

विकास कार्यों सम्बन्धी आंकड़ों के रख-रखाव तथा प्रगति के अनुश्रवण, सत्यापन एवं मूल्यांकन कार्य के सम्पादन हेतु विकास खंण्ड स्तर पर एक-एक सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकी) का पद भी सृजित है। उक्त कार्य जनपद स्तर पर नियुक्त अर्थ एवं संख्याधिकारी के तकनीकी मार्ग निर्देशन में सम्पादित किये जाते हैं।

3.3--वर्ष 1995-96 में अर्थ एवं संख्या प्रभाग द्वारा सम्पादित किय गये कार्यों का विवरण निम्न-लिखित प्रस्तरों में दिया जा रहा है :--

3.3.1--राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण :

(क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार के साथ समन्वय रखते हुए इस प्रभाग द्वारा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण सम्बन्धी कार्य वर्षानुवर्ष सम्पादित किया जाता है। आलोच्य वर्षान्तर्गत 51वीं आवृत्ति (जुलाई 1994 से जून 1995 तक) में विनिर्माण एवं मरम्मत क्रिया-कलापों में कार्यरत असंगठित क्षेत्र के लघु उद्योगों से उनका क्रिया-कलापों का स्वरूप निविष्टि एवं उत्पादन, रोजगार, स्थायी परि-

सम्पत्तियों की माल सूची तथा कार्यशील पूंजी, बकाया ऋण, कच्ची सामग्री तथा अन्य निविष्टियों की खपत, उत्पादों एवं उपोत्पादों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के संग्रह के अतिरिक्त प्रत्येक प्रतिदर्श ग्राम खण्ड में चार परिवारों के लघु प्रतिदर्श में उपभोक्ता व्यय सम्बन्धी प्रदेश में चयनित 1568 इकाइयों में गत वर्ष की अपेक्षित अवशेष 415 इकाइयों तथा चतुर्थ उपावृत्ति की समस्त 392 इकाइयों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया ।

(ख) राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 52वीं आवृत्ति (जुलाई, 1995 से जून, 1996 तक) की अवधि में प्रदेश की चयनित 968 ग्रामीण एवं 480 नगरीय इकाइयों में स्वास्थ्य परिचर्या पर सर्वेक्षण, 60 वर्ष की आयु से अधिक व्यक्तियों की आत्मनिर्भरता एवं पुरानी बीमारियों के सम्बन्ध में जानकारी तथा प्राथमिक शिक्षा के अन्तर्गत 21 वर्ष से कम आयु के बच्चों की उपस्थिति के अतिरिक्त प्रत्येक प्रतिदर्श ग्राम खण्ड में चार परिवारों से उपभोक्ता व्यय का सर्वेक्षण किया जाना है । इस आवृत्ति के अन्तर्गत चयनित कुल 1448 इकाइयों में से 905 इकाइयों के सर्वेक्षण का कार्य आलोच्य वर्ष में किया जाने का लक्ष्य है । यह कार्य नवम्बर, 95 में प्रारम्भ किया गया और 56 इकाइयों का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है ।

(ग) आलोच्य वर्षान्तर्गत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 50वीं आवृत्ति की अनुसूची 0.1/0.2, अनुसूची 1.0 तथा अनुसूची 10 की गत वर्ष की अवशेष क्रमशः 568, 5680 व 5680 अनुसूचियों का परि-निरीक्षण कार्य पूर्ण किया गया । इसके अतिरिक्त रा0 प्र0 स0 44वीं आवृत्ति की अनुसूची 1.4 की कुल 5451 अनुसूचियों में से 3415 अनुसूचियों का परिनिरीक्षण कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा अवशेष 2036 अनुसूचियों का परिनिरीक्षण कार्य वर्षान्त तक पूर्ण कर लिये जाने की सम्भावना है । इसके साथ ही 43वीं आवृत्ति की अनुसूची 10 से सम्बन्धित 461 पृष्ठों की एडिट की जांच का कार्य भी आलोच्य अवधि में सम्पन्न कराया गया । वर्षान्त तक 45वीं आवृत्ति की अनुसूची 2.22 की 13512 तथा 46वीं आवृत्ति की अनुसूची 2.41 की 13282 अनुसूचियों का परिनिरीक्षण किया जाना सम्भावित है ।

(घ) आलोच्य वर्षान्तर्गत रा0 प्र0 स0 की 35वीं आवृत्ति की अनुसूची-25.1 पर आधारित "उ0 प्र0 में प्रसूति एवं शिशु परिचर्या जुलाई, 1980-जून, 1981", 47वी आवृत्ति की अनुसूची 0.0 पर आधारित त्वरित रिपोर्ट "उ0 प्र0 में विकलांग व्यक्ति जुलाई, 1991--दिसम्बर, 1991"व अनुसूची-1.0 पर आधारित रिपोर्ट "उ0प्र0 में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय जुलाई, 1991--दिसम्बर, 1991" प्रकाशित की गयी । वर्षान्त तक रा0 प्र0 स0 34वीं आवृत्ति की अनुसूची 2.41बी पर आधारित रिपोर्ट "उत्तर प्रदेश में व्यापार-गैर निर्देशिका अधिष्ठान एवं स्वकार्यरत उद्यम, जुलाई, 1979-जून, 1980", 39वीं आवृत्ति की अनुसूची 12 पर आधारित रिपोर्ट "उत्तर प्रदेश में जनसंख्या, जन्म, मृत्यु की गणना जनवरी, 1984-जून, 1984", अनुसूची 12.1 पर आधारित रिपोर्ट "उत्तर प्रदेश में जनसंख्या, जन्म एवं मृत्यु गणना एवं पुनर्गणना जनवरी, 1984-जून 1984" तथा 43वीं आवृत्ति की अनुसूची 1.0 पर आधारित "उत्तर प्रदेश में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय वर्ष 1987-88" को प्रकाशित किया जाना है ।

(च) रा0प्र0स0 44वीं आवृत्ति की अनुसूची 1.2 पर आधारित "उत्तर प्रदेश में आवासीय दशा जुलाई, 1988-जून, 1989", 45वीं आवृत्ति की अनुसूची 1.0 पर आधारित "उत्तर प्रदेश में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय जुलाई, 1989-जून, 1990", 46वीं आवृत्ति की अनुसूची 1.0 पर आधारित "उत्तर प्रदेश में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय जुलाई, 1990-जून, 1991" तथा 50वीं आवृत्ति की अनुसूची 1.0 पर आधारित "उत्तर प्रदेश में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय जुलाई, 1993-जून, 1994" का प्रथम आलेख्य वर्षान्त तक तैयार किया जाना सम्भावित है ।

(छ) रा0 प्र0 स0 की 39वीं आवृत्ति की अनुसूची 12 पर आधारित रिपोर्ट "उत्तर प्रदेश में जनसंख्या, जन्म-मृत्यु गणना जनवरी, 1984-जून, 1984" व अनुसूची 12.1 पर आधारित रिपोर्ट "उत्तर प्रदेश में जनसंख्या, जन्म-मृत्यु गणना एवं पुनर्गणना जनवरी, 1984-जून, 1984" को संशोधित रिपोर्ट तथा 43वी आवृत्ति की अनुसूची 1.0 पर आधारित रिपोर्ट "उत्तर प्रदेश में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय जुलाई, 1987-जून, 1988" का प्रथम आलेख्य प्रकाशन की अनुमति हेतु भारत सरकार को भेजा गया । वर्षान्त तक रा0 प्र0 स0 37वी आवृत्ति की अनुसूची 18.1 पर आधारित रिपोर्ट "उत्तर प्रदेश में भूमि जोत एवं पशुधन धारण वर्ष 1982" की संशोधित रिपोर्ट प्रकाशन की अनुमति हेतु भारत सरकार को भेजा जाना प्रस्तावित है ।

3.3.2--वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण :

राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, भारत सरकार के साथ समन्वय रखते हुए प्रत्येक वर्ष इस प्रभाग द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत प्रदेश के कारखानों में पूंजी विनियोग, रोजगार, मजदूरी, प्रयुक्त ईंधन, कच्चा माल, उत्पाद एवं विनिर्माण द्वारा आवर्धित मूल्य आदि से सम्बन्धित आंकड़े संग्रह किये जाते हैं । भारत सरकार तथा विभाग द्वारा संग्रहित आंकड़ों का परिनिरीक्षण, संकलन, सारिणीयन तथा विश्लेषण करने के उपरान्त इन पर

आधारित रिपोर्ट भी प्रकाशित की जाती है । आलोच्य वर्षान्तर्गत वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 1988–89 सम्बन्धी रिपोर्ट तैयार करने का कार्य पूर्ण किया गया, जिसे वर्षान्त तक अन्तिम रूप दिया जाना प्रस्तावित है । वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 1990–91 का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने के साथ ही कुल 8223 अनुसूचियों में से नवम्बर, 1995 तक 4837 (37 प्रतिशत) अनुसूचियों का परिनिरीक्षण कार्य पूर्ण किया जा चुका है और शेष कार्य वर्ष के अन्त तक पूर्ण किये जाने का प्रयास जारी रहा । इसके अतिरिक्त वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण वर्ष 1991–92 के कुल 2205 कारखानों में से 1928 (लगभग 90 प्रतिशत) तथा वर्ष 1992–93 के 2738 कारखानों में से 1845 कारखानों (67 प्रतिशत) से आंकड़े एकत्र करने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और वर्षान्त तक शेष समस्त कारखानों से आंकड़े एकत्र कर लिया जावेगा इसके साथ ही वर्ष 1993–94 के 4134 कारखानों में से 516 कारखानों (12 प्रतिशत) से आंकड़े एकत्र किए जा चुके हैं । वर्षान्त तक उक्त सम्बन्धी 75 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाना प्रस्तावित है ।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 1994–95 के लिए जनपदवार प्रतीक सूचियों तथा रिक्त प्रपत्र भेजने का कार्य पूर्ण करके आंकड़ों के संग्रह का कार्य प्रगति पर रहा ।

बीड़ी सिगार कर्मचारी (रोजगार स्थिति) अधिनियम, 1966 के अन्तर्गत पंजीकृत बीड़ी सिगार के कारखानों से भी निर्धारित प्रपत्र पर आंकड़े प्रत्येक वर्ष एकत्र किये जाते हैं और इन पर आधारित अलग से प्रतिवेदन तैयार किया जाता है । आलोच्य वर्ष में बीड़ी उद्योग सर्वेक्षण 1988–89 की रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रगति पर रहा ।

3.3.3—कर्मचारी संगणना :

प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों में 31 मार्च की स्थिति के अनुसार कर्मचारियों के मूलवेतन एवं सकल परिलब्धियों के अनुसार निर्धारित विभिन्न वर्गों में उनकी संख्या आदि के आंकड़े प्रभाग द्वारा वर्षानुवर्ष एकत्र कराये जाते हैं । आलोच्य वर्ष में "उत्तर प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारी, 31 मार्च, 1992" की संकलित तालिकायें तैयार की गयीं । इसके अतिरिक्त 31 मार्च, 1993 की अनुसूचियों का संकलन कार्य पूर्ण किया गया तथा 31 मार्च, 1994 के अनन्तिम आंकड़े तैयार किये गये । इसके साथ ही 31 मार्च, 1995 से सम्बन्धित क्षेत्र में आंकड़ों के संग्रह कार्य के अन्तर्गत नवम्बर, 1995 तक 8923 कार्यालयों से आंकड़े एकत्र किए जा चुके हैं । वर्ष की शेष अवधि में अवशेष कार्यालयों से आंकड़े एकत्र करने का कार्य प्रगति पर रहा ।

3.3.4—विद्युत् उपभोग सर्वेक्षण :

प्रभाग द्वारा राज्य विद्युत् परिषद् तथा प्रदेश की समस्त स्वकार्यार्थ विद्युत् जनन इकाइयों, अनुज्ञप्तिधारियों तथा रेल प्रतिष्ठान केन्द्रों से उपयोगानुसार विद्युत् उपभोग के आंकड़े वर्षानुवर्ष एकत्र किये जाते हैं और इन आंकड़ों का जनपदवार एवं उपयोग वर्गानुसार संकलन एवं सारिणीयन करने के उपरान्त उन पर आधारित रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है । आलोच्य वर्ष में "उत्तर प्रदेश में विद्युत् उपभोग 1992–93" नामक रिपोर्ट को प्रकाशित किया गया । इसके अतिरिक्त वर्ष 1993–94 की उक्त रिपोर्ट की पाण्डुलिपि को अन्तिम रूप दिये जाने का कार्य प्रगति पर रहा । वर्ष 1994–95 के आंकड़ों के क्षेत्र में संग्रह के अन्तर्गत नवम्बर, 1995 तक 3018 इकाइयों के आंकड़े एकत्र किए जा चुके हैं । शेष इकाइयों से आंकड़े संग्रह का कार्य प्रगति पर रहा ।

3.3.5—आर्थिक गणना :

आलोच्य वर्ष में प्रदेश की आर्थिक गणना 1990 की रिपोर्ट राजकीय मुद्रणालय में मुद्रणाधीन रही ।

प्रदेश की आर्थिक गणना 1996 के क्षेत्रीय कार्य को निर्धारित समयावधि में सम्पादित कराने हेतु विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों में परस्पर यथोचित सामन्जस्य एवं समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मुख्य सचिव की अध्यक्षता में "राज्य स्तरीय आर्थिक गणना समन्वय समिति" तथा जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में "जिला आर्थिक गणना समन्वय एवं कार्यान्वयन समिति" का गठन कराया गया ।

3.3.6—भवन निर्माण सम्बन्धी आंकड़े :

(क) लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित 50 हजार रुपये या इससे अधिक लागत वाली भवन निर्माण प्रायोजनाओं के आंकड़े प्रतिवर्ष निर्धारित अनुसूची–1 में इस प्रभाग द्वारा एकत्र कराये जाते हैं । आलोच्य वर्षान्तर्गत वर्ष 1992–93 सम्बन्धी अनुसूची–1 के समस्त 63 केन्द्रों की 906 प्रायोजनाओं के संकलित आंकड़ों के आधार पर एनेक्स्चर–I तैयार कर निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को प्रेषित किया गया । वर्ष 1993–94 के समस्त 63 केन्द्रों की 808 प्रायोजनाओं के आंकड़े प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 15 केन्द्रों की 201 प्रायोजनाओं के आंकड़ों का परिनिरीक्षणोपरान्त संकलन किया जा चुका है । वर्षान्त तक वर्ष 1993–94 के अवशेष 48 केन्द्रों की 607 प्रायोजनाओं के आंकड़ों का परिनिरीक्षण एवं संकलनोपरान्त एनेक्स्चर–I तैयार कर भारत सरकार को भेजा जाना सम्भावित है ।

(ख) आलोच्य वर्ष में ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा निर्मित 50 हजार रुपये या उससे अधिक लागत वाली भवन निर्माण प्रायोजनाओं के वर्ष 1991–92 के समस्त 63 केन्द्रों की 1227 प्रायोजनाओं तथा वर्ष 1992–93 की 842 प्रायोजनाओं के आंकड़े संकलनोपरान्त एनेक्स्चर–I तैयार कर निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को प्रेषित किये गये । इसके साथ ही वर्ष 1993–94 के 63 केन्द्रों की 980 प्रायोजनाओं के प्राप्त आंकड़ों में से 59 केन्द्रों की 913 प्रायोजनाओं के आंकड़ों का संकलन भी किया गया । वर्षान्त तक वर्ष 1993–94 के अवशेष 4 केन्द्रों की 67 प्रायोजनाओं के आंकड़ों के संकलनोपरान्त एनेक्स्चर–I तैयार कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को भेजे जाने का प्रयास जारी रहा ।

(ग) आलोच्य वर्षान्तर्गत राज्य अधिष्ठानों द्वारा निर्मित 50 हजार रुपये या उससे अधिक लागतवाली भवन निर्माण प्रायोजनाओं के वर्ष 1992–93 के 49 राज्य अधिष्ठानों की 69 प्रायोजनाओं के संकलित आंकड़ों के आधार पर एनेक्स्चर–I तैयार कर निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को प्रेषित किया गया । इसके साथ ही वर्ष 1993–94 के 41 राज्य अधिष्ठानों के प्राप्त आंकड़ों का परि–निरीक्षणोपरान्त संकलन भी किया गया । वर्ष के अन्त तक वर्ष 1993–94 के अवशेष 9 राज्य अधिष्ठानों से आंकड़े प्राप्त कर उनका परिनिरीक्षण एवं संकलन करने के उपरान्त एनेक्स्चर–I तैयार कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को भेजा जावेगा ।

(घ) प्रदेश की दस हजार या उससे अधिक जनसंख्या वाली स्थानीय निकायों के कार्य क्षेत्र में निर्मित होने वाले निजी भवनों के वर्ष 1992–93 से 1993–94 तक के 3878 भवनों के त्रैमासिक आंकड़े प्राप्त कर परिनिरीक्षणोपरान्त एनेक्स्चर–II में संकलित कर निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को प्रेषित किये गये । वर्ष की शेषावधि में वर्ष 1993–94 के अवशेष स्थानीय निकायों से त्रैमासिक आंकड़े प्राप्त कर परिनिरीक्षण एवं संकलनोपरान्त एनेक्स्चर–II तैयार कर राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को भेजा जावेगा ।

(च) प्रदेश के 62 जिला केन्द्रों से भवन निर्माण सम्बन्धी 13 वस्तुओं की 69 मदों के त्रैमासिक फुटकर भाव तथा 63 जिला केन्द्रों से लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्मित कराये जा रहे भवनों में कार्यरत कुशल एवं अकुशल मजदूरों की देय मजदूरी की त्रैमासिक दरों के त्रैमासान्त सितम्बर, 1994 से त्रैमासान्त जून, 1995 तक के आंकड़े प्राप्त कर परिनिरीक्षण एवं संकलनोपरान्त निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को प्रेषित किये गये । वर्षान्त तक त्रैमासान्त सितम्बर, 1995 एवं दिसम्बर, 1995 के क्रमशः 62 एवं 63 केन्द्रों के उक्त आंकड़े प्राप्त कर परिनिरीक्षण एवं संकलनोपरान्त राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को भेजा जावेगा ।

(छ) प्रदेश के 8 जिला केन्द्रों यथा–गोरखपुर, वाराणसी, इलाहाबाद, कानपुर नगर, मेरठ, देहरादून, बरेली तथा झांसी के चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1 के भवनों के लागत सूचकांक (आधार वर्ष 1980–81, बरेली के लिये आधार वर्ष 1981–82) त्रैमासान्त सितम्बर, 1994 से त्रैमासान्त जून, 1995 तक तैयार कर निदेशक, राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन, भारत सरकार को नवम्बर 95 तक भेजे गये । वर्ष की शेष अवधि में त्रैमासान्त सितम्बर, 1995 व दिसम्बर, 1995 तक तैयार कर उक्त संगठन को भेजा जायेगा ।

(ज) भवन निर्माण सम्बन्धी आवश्यक वस्तुओं के फुटकर भाव, मजदूरी की दरें तथा चतुर्थ वर्ग कर्मचारियों हेतु निर्मित आवास टाइप–1 के भवनों के लागत सूचकांक वर्ष 1991–92 की रिपोर्ट तैयार कर इसके प्रकाशन का कार्य प्रगति पर रहा ।

---भाव संग्रह :

आलोच्य वर्ष में विभिन्न भाव श्रृंखलाओं के अन्तर्गत निम्नलिखितथोक एवं फुटकर भाव संग्रह कराये गये :—

(क) प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों तथा 14 अन्य प्रमुख मण्डियों से 72 कृषीय वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के साप्ताहिक थोक एवं फुटकर भाव राज्य कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से एकत्र कराकर उनका परिनिरीक्षण एवं संकलन किया गया ।

(ख) राज्य आय तथा जिला घरेलू उत्पाद से अनुमान तैयार करने के सन्दर्भ में राज्य कृषि विपणन निदेशालय के माध्यम से प्रदेश के समस्त जनपद मुख्यालयों एवं 29 अन्य प्रमुख मण्डियों से कृषीय वस्तुओं के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के थोक भाव भी संग्रह कराये गये तथा उनका परिनिरीक्षणोपरान्त संकलन किया गया ।

(ग) प्रदेश के 22 प्रमुख औद्योगिक जनपद केन्द्रों के चयनित व्यापारियों से प्रत्येक शुक्रवार के 110 औद्योगिक वस्तुओं के साप्ताहिक थोक भाव संग्रह कराकर उनका परिनिरीक्षणोपरान्त संकलन किया गया ।

(घ) प्रदेश के 62 जनपद मुख्यालयों से 131 कृषीय/अकृषीय उपभोक्ता वस्तुओं के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के नगरीय फुटकर भाव प्रभाग के जनपद कार्यालयों के माध्यम से संग्रह कराकर मुख्यालय पर उसका परिनिरीक्षणोपरान्त संकलन किया गया ।

(च) प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के एक चयनित ग्राम बाजार से प्रत्येक माह के प्रथम बाजार दिवस के 95 कृषीय एवं अकृषीय उपभोक्ता वस्तुओं से ग्रामीण फुटकर भाव संग्रह कराकर इन भावों पर आधारित जनपदीय औसत भावों को प्राप्त कर उनका परिनिरीक्षणोपरान्त संकलन प्रभाग मुख्यालय पर किया गया ।

(छ) राज्य स्तर पर भाव प्रवृत्ति को मानीटरिंग हेतु प्रदेश के 16 प्रमुख जनपद मुख्यालयों से दैनिक उपभोग की 47 आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के फुटकर भाव संग्रह कराकर इनका परिनिरीक्षणोपरान्त संकलन कर उनकी प्रवृत्ति पर साप्ताहिक विश्लेषणात्मक समीक्षायें तैयार कर प्रदेश के खाद्य सचिव, नियोजन सचिव एवं वित्त सचिव को भेजी गयी ।

भारत सरकार एवं अन्य विभागों के प्रयोगार्थ भाव संग्रह :

(क) अखिल भारतीय श्रमिक उपभोक्ता भाव सूचकांक योजनान्तर्गत प्रदेश के 5 केन्द्रों (कानपुर, वाराणसी, सहारनपुर, गाजियाबाद एवं आगरा) से 115 वस्तुओं के प्रत्येक शनिवार के साप्ताहिक तथा माह के अन्तिम शनिवार के 107 वस्तुओं के मासिक फुटकर भाव सम्बन्धित केन्द्र के अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा अलग से एकत्र कराकर सीधे श्रम संघ, शिमला को भेजे गये ।

(ख) अर्थ एवं सांख्यिकीय सलाहकार, भारत सरकार के उपयोगार्थ प्रदेश के चयनित 20 केन्द्रों से 58 खाद्य एवं 44 अखाद्य आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के साप्ताहिक फुटकर भाव सम्बन्धित केन्द्रों के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारियों द्वारा संग्रह कराकर विश्लेषणात्मक टिप्पणी सहित भेजे गये ।

(ग) लखनऊ जनपद मुख्यालय से 16 आवश्यक वस्तुओं के प्रत्येक शुक्रवार के साप्ताहिक फुटकर भावों का संग्रह एवं संकलन कराने के उपरान्त तुलनात्मक भावान्तर विवरण माननीय मुख्यमंत्री, खाद्य एवं रसद मंत्री, नियोजन मंत्री एवं मुख्य सचिव के निजी सचिवों को भेजे गये ।

(घ) हापुड़ मण्डी से 11 प्रमुख वस्तुओं के प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के थोक भाव संग्रह एवं संकलित कराकर गत माह के भावों के आधार पर भावान्तर विवरण के साथ महामहिम राज्यपाल को भेजे गये ।

(च) कानपुर केन्द्र से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार के 58 चयनित वस्तुओं के थोक भावों का संग्रह कराने के उपरान्त परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य किया गया तथा बड़ा इलायची के थोक भाव संग्रहित कर भारत सरकार के इलायची बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, सिलीगुड़ी, पश्चिमी बंगाल को भेजे गये ।

(छ) प्रदेश के 6 केन्द्रों यथा–वाराणसी, जौनपुर, इलाहाबाद, झांसी, रायबरेली तथा अल्मोड़ा से कच्चे ऊन के मासिक उत्पादक थोक भाव संग्रह कराकर उनका परिनिरीक्षणोपरान्त संकलन कर निदेशक, पशु–पालन विभाग, उत्तर प्रदेश को उपलब्ध कराये गये ।

3. 3. 8––मजदूरी की दरें :

(क) प्रदेश के प्रत्येक विकास खण्ड के एक चयनित ग्राम से प्रत्येक माह के प्रथम शुक्रवार को ग्रामीण मजदूरी की दरों के आंकड़े नियमित रूप से अर्थ एवं संख्याधिकारियों के माध्यम से संग्रह कराये गये तथा इन आंकड़ों के परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य प्रभाग मुख्यालय पर किया गया । प्रदेश के 10 जनपदों यथा इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, फैजाबाद, बरेली, मेरठ, नैनीताल, आगरा तथा झांसी से विकास खण्डवार मजदूरी की दरों के परिनिरीक्षित आंकड़े अर्थ एवं सांख्यिकीय सलाहकार, भारत सरकार को प्रत्येक माह भेजे गये ।

(ख) प्रदेश के समस्त जिला केन्द्रों एवं नगर पालिकाओं/नगर निगमों के चयनित दो–दो प्रमुख अड्डों/मुहल्लों में से प्रथम अड्डे/मोहल्लों से प्रत्येक माह के प्रथम शनिवार को तथा द्वितीय अड्डे/मोहल्ले से आगामी सोमवार को अकुशल श्रमिक, राज एवं बढ़ई की नगरीय अनुमानी मजदूरी की दरों का संग्रह कराकर प्रभाग मुख्यालय पर उनके परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य किया गया ।

3. 3. 9––स्थानीय निकायों का आय, व्यय, पूंजी–व्यय तथा रोजगार :

प्रदेश की समस्त स्थानीय निकायों के आय, व्यय, पूंजी–व्यय तथा रोजगार सम्बन्धी आंकड़े प्रत्येक वर्ष एकत्र कराये जाते हैं और इन आंकड़ों का परिनिरीक्षण एवं संकलन कर रिपोर्ट प्रकाशित करायी जाती है । इसी श्रृंखला में वर्ष 1993–94 की रिपोर्ट तैयार कर प्रकाशित करायी गयी । इसके साथ ही वर्ष 1994–95 के आंकड़ों का एकत्रीकरण, परिनिरीक्षण एवं संकलन का कार्य भी प्रगति पर रहा ।

3.3.10—स्थानीय निकायों के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण :

प्रदेश के समस्त जिला परिषदों, नगर निगमों, नगरपालिकाओं, जल संस्थानों, विकास प्राधिकरणों, प्रत्येक जनपद को केवल एक टाउन एरिया एवं नोटीफाइड एरिया तथा प्रत्येक विकास खण्ड की एक-एक ग्राम पंचायत के आय-व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण करने का कार्य भी प्रभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष सम्पादित किया जाता है। इस कड़ी में वर्ष 1993-94 के वर्गीकृत आंकड़ों का राज्य स्तरीय संकलन कर विभिन्न तालिकायें परिनिरीक्षणोपरान्त केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार, नई दिल्ली को भेजी गयी। वर्ष 1994-95 के आंकड़ों को एकत्रित कर उनके वर्गीकरण का कार्य क्षेत्र में प्रगति पर रहा।

3.3.11—बीस सूत्री कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य :

आलोच्य वर्ष में प्रदेश के समस्त प्रशासकीय मण्डलों व जनपदों से 20 सूत्री कार्यक्रम की माह मार्च, 1995 व जून, 1995 से फरवरी, 1996 तक की मासिक अनुश्रवण रिपोर्ट प्रत्येक माह राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र स्थित कम्प्यूटर पर प्राप्त की गयी तथा प्रगति सम्बन्धी सूचियां प्रभाग मुख्यालय में प्राप्त कर उनके आधार पर सूची प्रकाशन की स्थिति कम्प्यूटर में फीड कराकर राज्य स्तरीय मासिक अनुश्रवण रिपोर्ट्स तैयार करायी गयी तथा उनकी वांछित प्रतियां बहुमुद्रण द्वारा तैयार कराकर शासन के कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग को यथासमय उपलब्ध करायी गयी।

3.3.12—सामुदायिक विकास कार्य :

(क) आलोच्य वर्ष (नवम्बर, 1995 तक) में ग्राम्य विकास कार्यक्रमों की कुछ मुख्य मदों से सम्बन्धित विकास खण्ड, जिला एवं मण्डल स्तरीय मासिक प्रगति प्रतिवेदन माह अक्टूबर, 1994 से फरवरी, 1995 तथा विस्तृत मदों का त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन त्रैमासान्त सितम्बर, 1994, दिसम्बर, 1994 व मार्च, 1995 प्राप्त कर उनके आधार पर राज्य स्तरीय मासिक एवं त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर शासन एवं सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किया गया। वर्ष की शेषावधि में माह अप्रैल, 1995 से जनवरी, 1996 तथा त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन त्रैमासान्त जून, 1995, सितम्बर, 1995 व दिसम्बर, 1995 तक प्राप्त करके उनके आधार पर राज्य स्तरीय मासिक एवं त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार कर शासन एवं सम्बन्धित विभागों को प्रेषित किये जायेंगे।

(ख) प्रदेश के विकास खण्डों में कार्यरत सहायक विकास अधिकारी (सां0) द्वारा किये गये विकास कार्यों के [illegible] से प्राप्त त्रैमासिक प्रतिवेदनों का संकलन कर राज्य स्तरीय त्रैमासिक रिपोर्ट तैयार कर आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज, उत्तर प्रदेश शासन तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्षों को भेजी गयी।

3.3.13—भाव एवं मजदूरी दरों के सूचकांक :

(क) आलोच्य वर्षान्तर्गत उत्तर प्रदेश के नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार : कृषि वर्ष 1970-71 =100) माह अक्टूबर, 1994 से माह सितम्बर, 1995 तक, ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार : कृषि वर्ष 1970-71=100) माह अक्टूबर, 1993 से माह जून, 1995 तक तथा थोक भाव सूचकांक (आधार : वर्ष 1970-71=100) माह अक्टूबर, 1994 से माह सितम्बर, 1995 तक के तैयार कर अलग-अलग प्रकाशनों के रूप में त्रैमासिक आधार पर प्रकाशित कराये जाते रहे।

(ख) उत्तर प्रदेश के नगरीय एवं ग्रामीण मजदूरी की दरों के सूचकांक (आधार : कृषि वर्ष 1970-71 =100) त्रैमासान्त सितम्बर, 1994 से त्रैमासान्त दिसम्बर, 1995 तैयार कर प्रकाशित कराये गये।

3.3.14—कृषि क्रय-विक्रय समता सूचकांक :

आलोच्य वर्ष में कृषि क्रय-विक्रय समता सूचकांक (आधार : कृषि वर्ष 1970-71=100) वर्ष 1994-95 तैयार कर प्रकाशित कराया गया।

3.3.15—उत्पादन सूचकांक :

(क) कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत कारखानों में से बड़े कारखानों से मासिक उत्पादन के आंकड़े प्रत्येक त्रैमास में एकत्र कराकर इनके आधार पर राज्य का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार : वर्ष 1970-71=100) प्रत्येक त्रैमास के लिये तैयार कर प्रकाशित किया जाता है। इस कड़ी में आलोच्य वर्षान्तर्गत त्रैमासान्त दिसम्बर, 1994, मार्च, 1995, जून, 1995 तथा सितम्बर, 1995 तैयार किये गये। त्रैमासान्त दिसम्बर, 1995 के उक्त सूचकांक हेतु क्षेत्र में वांछित आंकड़ों के संग्रह का कार्य प्रगति पर रहा। इसके अतिरिक्त नये कारखानों के उत्पादन का समावेश करते हुए वर्ष 1992-93 तथा 1993-94 के गत वर्ष तैयार सूचकांक संशोधित करने के साथ ही वर्ष 1994-95 के वार्षिक सूचकांक भी तैयार किये गये।

(ख) कृषि उत्पादन सूचकांक (परिमाण एवं मूल्य) वर्ष 1992–93 (अन्तिम), 1993–94 (अनन्तिम) तथा 1994–95 (त्वरित) भी तैयार किये गये ।

3.3.16—राज्य आय अनुमान :

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा तैयार किये जा रहे राष्ट्रीय आय अनुमानों की भांति वर्ष 1980–81 से 1994–95 श्रृंखला के अन्तर्गत वर्ष 1988–89 से 1992–93 तक के संशोधित, वर्ष 1993–94 के अनन्तिम तथा वर्ष 1994–95 के त्वरित अनुमान तैयार किये गये एवं "राज्य आय अनुमान वर्ष 1980–81 से 1994–95" नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया ।

3.3.17—जिला घरेलू उत्पाद :

राज्य आय की नवीन श्रृंखला के अनुरूप प्रचलित तथा स्थायी (1980–81) भावों पर पांच वस्तु उत्पाद खण्डों के वर्ष 1992–93 के जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये गये । वर्ष 1993–94 के जिला घरेलू उत्पाद तैयार करने हेतु आंकड़ें एकत्र किये गये तथा वर्ष 1988–89 से वर्ष 1991–92 के अनुमान संशोधित किये गये ।

3.3.18—उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण :

आलोच्य वर्ष में "उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण 1995–96" तैयार कर प्रकाशित किया गया ।

3.3.19—त्रैमासिक सांख्यिकीय पत्रिका :

प्रदेश में उद्योग, शक्ति, श्रम, रोजगार, भाव तथा सूचकांक, कृषि, सिंचाई, पशुपालन एवं मत्स्य, परिवार कल्याण एवं संचार से सम्बन्धित प्रगति के आंकड़े इस पत्रिका में प्रकाशित किये जाते हैं । आलोच्य वर्षान्तर्गत उक्त पत्रिका सम्बन्धी त्रैमास जनवरी–मार्च, 1995, अप्रैल–जून, 1995, जुलाई–सितम्बर, 1995 तथा अक्तूबर–दिसम्बर, 1995 की पाण्डुलिपि तैयार कर मुद्रण हेतु राजकीय मुद्रणालय भेजी गयी ।

3.3.20—उत्तर प्रदेश एक झलक (आंकड़ों में) :

आलोच्य वर्ष में "उत्तर प्रदेश एक झलक (आंकड़ों में)" 1995 अंक को प्रकाशित कराया गया ।

3.3.21—उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा :

उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा 1994–95 का आलेख पूर्ण कर उसके प्रकाशन की कार्यवाही प्रगति पर रही तथा वर्ष 1995–96 के अंक हेतु वांछित आंकड़े एकत्र कर आलेख्य तैयार करने का कार्य प्रगति पर रहा ।

3.3.22—उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के अभिज्ञान हेतु जिलेवार विकास संकेतक :

विकास सम्बन्धी महत्वपूर्ण मदों के जिलेवार विकास संकेतक तैयार करने का कार्य प्रभाग द्वारा वर्षानुवर्ष किया जाता है ताकि विकास सम्बन्धी अन्तर्जनपदीय विषमताओं का अभिज्ञान किया जा सके । इस कड़ी में वर्ष 1993 का उक्त संकेतक राजकीय प्रेस में मुद्रणाधीन रहा तथा 1994 के अंक की पाण्डुलिपि तैयार कर इसकी 50 प्रतियां फोटोस्टेट करायी गयी तथा मुद्रण का कार्य प्रगति पर रहा । इसके अतिरिक्त "उत्तराखण्ड की आर्थिक स्थिति के अभिज्ञान हेतु जिलेवार विकास संकेतक 1994" की पाण्डुलिपि तैयार करने के उपरान्त कम्प्यूटर पर टंकण कराकर उक्त की 25 प्रतियां फोटोस्टेट करायी गयी ।

3.3.23—राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश का कार्य विवरण :

राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश के अन्तर्गत कार्यरत विभिन्न प्रभागों द्वारा वर्ष 1995–96 में सम्पादित किये गये कार्यों का विवरण प्रस्तुत करने के उद्देश्य से उक्त प्रकाशन तैयार कर इसे प्रकाशित कराया गया ।

3.3.24—सांख्यिकीय डायरी :

आलोच्य वर्षान्तर्गत "सांख्यिकीय डायरी 1995 (हिन्दी)" के अंक को तैयार कराया गया । "सांख्यिकीय डायरी 1994 (द्विभाषी)" राजकीय प्रेस में मुद्रणाधीन रही ।

3.3.25—सांख्यिकीय सारांश उत्तर प्रदेश :

आलोच्य वर्ष में "सांख्यिकीय सारांश 1991" एवं "सांख्यिकीय सारांश 1992" के अंकों को वर्ष की शेषावधि तक प्रकाशित किये जाने का प्रयास जारी रहा तथा 1993 के अंक की पाण्डुलिपि को अन्तिम रूप दिया जाना सम्भावित है ।

3.3.26--अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आंकड़े :

आलोच्य वर्षान्तर्गत "अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आंकड़े 1993" के अंक को प्रकाशित कराया गया तथा वर्ष 1992 का अंक मुद्रणाधीन रहा । वर्षान्त तक अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आंकड़े 1994 के अंक की पाण्डुलिपि को अन्तिम रूप दिया जाना सम्भावित है ।

3.3.27--अन्तर्जनपदीय आंकड़े :

कुछ चुनी हुई मदों की सुविधा से दूरी के अनुसार ग्रामों की संख्या से सम्बन्धित द्विवर्षीय प्रकाशन "अन्तर्जनपदीय आंकड़े 1992" के अंक का प्रकाशित कराया गया । अन्तर्जनपदीय आंकड़े 1994 की पाण्डुलिपि को वर्ष की शेष अवधि तक तैयार किया जाना सम्भावित है ।

3.3.28--जनपद/मण्डल की सांख्यिकीय पत्रिका :

आलोच्य वर्षान्तर्गत सभी मण्डलों एवं जनपदों की वर्ष 1994 की सांख्यिकीय पत्रिकायें प्रकाशित करायी गयीं। इस प्रकाशन में गुणात्मक सुधार लाने के उद्देश्य से सभी जनपदों की सांख्यिकीय पत्रिकाओं का परिनिरीक्षण कार्य प्रभाग मुख्यालय पर किया गया और परिनिरीक्षण में पायी गयी त्रुटियों से क्षेत्रीय अधिकारियों को अवगत कराया गया । जनपदीय सांख्यिकीय पत्रिका 1995 के अंक तैयार करने हेतु क्षेत्र को निर्देश भेजे गये तथा कतिपय मदों के आंकड़े भी प्रभाग मुख्यालय से जनपदों को भेजे गये ।

3.3.29--जनपद/मण्डल की सामाजार्थिक समीक्षा :

प्रदेश के प्रत्येक जनपद तथा मण्डलीय कार्यालय द्वारा अपने क्षेत्र की सामाजार्थिक समीक्षा वर्षानुवर्ष तैयार करने का कार्य किया जाता है । वर्ष 1993-94 की उक्त समीक्षायें तैयार करायी जा चुकी हैं तथा वर्ष 1994-95 की उक्त समीक्षायें तैयार किये जाने का कार्य प्रगति पर रहा ।

3.3.30--आफ लाइन डेटा इन्ट्री सम्बन्धी कार्य :

आलोच्य वर्षान्तर्गत राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण की 49 वीं आवृत्ति की अनुसूची 1.2 (ग्रामीण) सम्बन्धी कार्य पूर्ण किया गया । वर्षान्त तक उक्त आवृत्ति की अनुसूची 1.2 (नगरीय) की डेटा इन्ट्री का कार्य पूर्ण किया जाना सम्भावित है । इसके अतिरिक्त आलोच्य वर्ष में रा0 प्र0 स0-44 वीं आवृत्ति की अनुसूची 1.2, 45 वीं आवृत्ति की अनुसूची 1.0 तथा 46 वीं आवृत्ति की अनुसूची 1.0 सम्बन्धी करेक्शन का कार्य भी पूर्ण किया गया । इसके साथ ही जिला घरेलू उत्पाद के अनुमान 1992-93 के करेक्शन का कार्य भी पूर्ण किया गया तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 50 वीं आवृत्ति की अनुसूची 1.0 सम्बन्धी कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रारम्भ किया गया जो आलोच्य वर्षान्तर्गत पूर्ण किया जाना सम्भावित है ।

3.3.31-कम्प्यूटर सम्बन्धी कार्य :

आलोच्य वर्ष में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 43 वीं आवृत्ति की अनुसूची 1.0 के आंकड़ों पर आधारित वांछित सारिणीयन का कार्य पूर्ण किया गया । इसके अतिरिक्त "उत्तर प्रदेश एक झलक (आंकड़ों में) 1995" नामक पुस्तिका का प्रारूप मुद्रण हेतु पर्सनल कम्प्यूटर द्वारा तैयार किया गया । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 43 वीं आवृत्ति की अनुसूची 10 पर आधारित आंकड़ों का वेलाडेशन तथा वांछित सारिणीयन कम्प्यूटर द्वारा करने हेतु आवश्यक साफ्ट-वेयर के विकास का कार्य प्रगति पर रहा तथा 46 वीं आवृत्ति की अनुसूची 10 पर आधारित आंकड़ों का वेलीडेशन कार्य भी प्रगति पर रहा । वर्षान्त तक राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण 41 वीं आवृत्ति की अनुसूची 2.41 वीं, 44 वीं आवृत्ति की अनुसूची 1.2 तथा 45 वीं आवृत्ति की अनुसूची 1.0 के आंकड़ों पर आधारित वांछित सारिणीयन सम्बन्धी कार्य पूर्ण करना सम्भावित है । इसके साथ ही जिला घरेलू उत्पाद 1992-93 के आंकड़ों पर आधारित वांछित सारिणीयन तथा अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आंकड़े वर्ष 1992 की पुस्तिका का प्रारूप मुद्रण हेतु पर्सनल कम्प्यूटर द्वारा तैयार किये जायेंगे ।

3.3.32--मूल्यांकन अध्ययन :

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रतिवेदित प्रगति का मूल्यांकन अध्ययन सम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवर्ष प्रभाग द्वारा सम्पन्न कराया जाता है । आलोच्य वर्ष में राजकीय लघु सिंचाई एवं निजी लघु सिंचाई वर्ष 1992-93 की प्रतिवेदित प्रगति का राज्य स्तरीय मूल्यांकन अध्ययन सम्बन्धी प्रतिवेदन तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया गया । वर्षान्त तक बीस सूत्री कार्यक्रम का मद "बीमारियों के विरुद्ध बच्चों का प्रतिरक्षण" की वर्ष 1994-95 की प्रतिवेदित प्रगति के मूल्यांकन अध्ययन सर्वेक्षण को पूर्ण कराया जायेगा ।

3.3.33--अन्य कार्य :

(क) प्रदेश की वार्षिक योजना 1996-97 हेतु प्रभाग से अपेक्षित "प्रदेश की अर्थ व्यवस्था" नामक अध्याय तैयार कर शासन को उपलब्ध कराया गया ।

(ख) प्रभागीय (मैदानी एवं उत्तराखण्ड क्षेत्र) वार्षिक योजना 1996–97 तैयार कर वांछित प्रतियों में नियोजन विभाग एवं उत्तराखण्ड विकास विभाग को उपलब्ध करायी गयी ।

(ग) आलोच्य वर्ष में कैलेण्डर वर्ष 1994 तथा वित्तीय वर्ष 1994–95 के मुद्रणालयों एवं प्रकाशनों सम्बन्धी जनपदवार आंकड़े एकत्र कर संकलित किये गये ।

(घ) माननीय मुख्यमंत्री जी के उपयोगार्थ प्रभाग सम्बन्धी वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण नियमित रूप से प्रत्येक माह शासन को भेजा गया । इसके अतिरिक्त प्रभाग तथा प्रभाग के मण्डलीय कार्यालयों द्वारा किये गये प्रमुख कार्यों का मासिक एवं क्रमिक प्रगति विवरण भी नियोजन सचिव, उत्तर प्रदेश शासन को नियमित रूप से भेजा गया ।

(च) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा प्रभाग से अपेक्षित त्रैमासान्त मार्च, 1995 से त्रैमासान्त दिसम्बर, 1995 तक में जारी प्रकाशनों/रिपोर्ट्स की सूची तथा प्रकाशनों की एक–एक प्रति उक्त संगठन की अपेक्षानुसार उन्हें उपलब्ध करायी गयी । केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों के दसवें सम्मेलन की संस्तुतियों के कार्यान्वयन सम्बन्धी त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन त्रैमासान्त मार्च, 1995 से त्रैमासान्त सितम्बर, 1995 तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार को भेजी गयी । इसके अतिरिक्त केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार द्वारा आयोजित केन्द्र एवं राज्यों के सांख्यिकीय संगठनों के ग्यारहवें सम्मेलन के एजेण्डा हेतु आमंत्रित सुझावों के सन्दर्भ में प्रभाग से अपेक्षित सामग्री संकलित कर उक्त संगठन को भेजी गयी । राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली की रिव्यू कमेटी की संस्तुतियों के क्रियान्वयन सम्बन्धी अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट (मार्च, 1995 तथा सितम्बर, 1995)भी तैयार कर केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार को उपलब्ध करायी गयी ।

(छ) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन, भारत सरकार के प्रकाशन "भारत में सांख्यिकीय प्रणाली, 1995" हेतु प्रभागीय सूचना तथा अन्य विभागों से वांछित सूचना प्राप्त एवं संकलित कर उक्त संगठन को भेजी गयी ।

(ज) कार्यकारी अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश, विधान परिषद् की अपेक्षानुसार उनके निजी सचिव को "उत्तर प्रदेश एवं भारत में गरीबी तथा उत्तर प्रदेश में बेरोजगारों की संख्या" सम्बन्धी आंकड़े तैयार कर उन्हें भेजे गये ।

(झ) सचिव नियोजन की अपेक्षानुसार "उत्तर प्रदेश की अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्क्षेत्रीय विषमता" पर आवश्यक आंकड़े एवं टिप्पणी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराये गये ।

(ट) "इण्डिया 1995" के लिये नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त सामग्री को अद्यतन कर उक्त विभाग को वापस किया गया ।

(ठ) वार्षिक योजना हेतु 11 मदों के वर्ष 1991–92 के आर्थिक क्षेत्रवार संकेतक तैयार कर शासन को उपलब्ध कराये गये ।

(ड) नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अपेक्षानुसार अमेरिकी राजदूत श्री वाइजनर की यात्रा के समय उनके उपयोगार्थ उत्तर प्रदेश के कतिपय मदों के आंकड़े तैयार कर शासन को भेजे गये ।

(त) वर्ष 1996–97 हेतु स्थानीय लेखा परीक्षा कार्यक्रम के लिये "स्केलिटन का गठन" से सम्बन्धित सूचना तैयार कर उत्तराखण्ड विकास विभाग, उ0 प्र0 शासन को भिजवायी गयी ।

(थ) सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के वार्षिक प्रकाशन "उत्तर प्रदेश वार्षिकी 1995" हेतु प्रभाग से अपेक्षित सामग्री तैयार कर उक्त विभाग को भेजी गयी ।

(द) प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा प्रकाशित किये जाने वाले आंकड़ों में तालमेल एवं एकरूपता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शासन द्वारा प्रदेश स्तर पर 10 सांख्यिकीय उप–समन्वय समितियां गठित हैं । इनकी निर्धारित बैठकें आयोजित करके सम्बन्धित विभागों के आंकड़े पारित किये गये और उनका समावेश प्रभाग के प्रकाशनों में भी किया गया ।

(ध) उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य संस्थानों द्वारा अपेक्षित आंकड़े/सूचना/सामग्री की पूर्ति भी प्रभाग द्वारा यथासमय की जाती रही ।

3.3.34––प्रकाशन :

आलोच्य वर्ष में प्रभाग द्वारा प्रकाशित/तैयार रिपोर्ट्स का विवरण निम्नानुसार है :––

(क) नियमित प्रकाशन––

1––बोस सूत्री कार्यक्रम की मासिक अनुश्रवण रिपोर्ट ।

2––कुछ प्रमुख मदों से सम्बन्धित ग्राम्य विकास कार्यों का मासिक प्रगति प्रतिवेदन ।

3--अन्तर्राज्यीय तुलनात्मक आंकड़े, 1994 (द्विमासी) ।
4--सांख्यिकीय डायरी (हिन्दी),1995 ।
5--जिला सांख्यिकीय पत्रिकायें, 1994 ।
6--मण्डलीय सांख्यिकीय पत्रिकायें, 1994 ।
7--उत्तर प्रदेश में विद्युत उपभोग, 1993-94 ।
8--ग्राम्य विकास कार्यों का त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन :
(1) जनवरी-मार्च, 1995 ।
(2) अप्रैल-जून, 1995 ।
(3) जुलाई-सितम्बर, 1995 ।
(4) अक्टूबर-दिसम्बर, 1995 ।
9--उत्तर प्रदेश का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार वर्ष 1970-71) :
(1) त्रैमास अक्टूबर-दिसम्बर, 1994 ।
(2) त्रैमास जनवरी-मार्च, 1995 ।
(3) त्रैमास अप्रैल-जून, 1995 ।
(4) त्रैमास जुलाई-सितम्बर, 1995 ।
10--उत्तर प्रदेश का थोक भाव सूचकांक (आधार वर्ष 1970-71) :
(1) त्रैमास अक्टूबर-दिसम्बर, 1994 ।
(2) त्रैमास जनवरी-मार्च, 1995 ।
(3) त्रैमास अप्रैल-जून, 1995 ।
(4) त्रैमास जुलाई-सितम्बर, 1995 ।
11--उत्तर प्रदेश का ग्रामीण उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार कृषि वर्ष 1970-71) :
(1) त्रैमास अक्टूबर-दिसम्बर, 1993 ।
(2) त्रैमास जनवरी-मार्च, 1994 ।
(3) त्रैमास अप्रैल-जून, 1994 ।
(4) त्रैमास जुलाई-सितम्बर, 1994 ।
(5) त्रैमास अक्टूबर-दिसम्बर, 1994 ।
(6) त्रैमास जनवरी-मार्च, 1995 ।
(7) त्रैमास अप्रैल-जून, 1995 ।
12--उत्तर प्रदेश का नगरीय उपभोक्ता भाव सूचकांक (आधार कृषि वर्ष 1970-71) :
(1) त्रैमास जुलाई-सितम्बर, 1994 ।
(2) त्रैमास अक्तूबर-दिसम्बर, 1994 ।
(3) त्रैमास जनवरी-मार्च, 1995 ।
(4) त्रैमास अप्रैल-जून, 1995 ।
(5) त्रैमास जुलाई-सितम्बर, 1995 ।
13--उत्तर प्रदेश में ग्रामीण एवं नगरीय मजदूरी की दरों का सूचकांक (आधार : कृषि वर्ष 1970-71)।
(1) त्रैमास अक्टूबर-दिसम्बर, 1994 ।
(2) त्रैमास जनवरी-मार्च, 1995 ।
(3) त्रैमास अप्रैल-जून, 1995 ।
(4) त्रैमास जुलाई-सितम्बर, 1995 ।
(5) त्रैमास अक्टूबर-दिसम्बर, 1995 ।

14—सांख्यिकीय त्रैमासिक पत्रिका, उत्तर प्रदेश :—

(1) जनवरी–मार्च, 1995 ।
(2) अप्रैल–जून, 1995 ।
(3) जुलाई–सितम्बर, 1995 ।
(4) अक्टूबर–दिसम्बर 1995 ।

15—उत्तर प्रदेश का कृषि क्रय–विक्रय समता सूचकांक 1994–95 (आधार : कृषि वर्ष 1970–71) ।

16—उत्तर प्रदेश के आय–व्ययक का आर्थिक एवं कार्य सम्बन्धी वर्गीकरण 1995–96 ।

17—उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकायों का आय–व्यय, पूंजी–व्यय एवं रोजगार, 1993–94 ।

18—राज्य आय अनुमान 1980–81 से 1994–95 ।

19—उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, 1994–95 ।

20—उत्तर प्रदेश एक झलक (आंकड़ों में), 1995 ।

21—राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश का कार्य विवरण 1995–96 ।

22—उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति के अभिज्ञान हेतु जिलेवार विकास संकेतक, 1994 ।

23—जनपद तथा मण्डलीय सामाजार्थिक समीक्षायें, 1994–95 ।

(ख) तदर्थ प्रकाशन—

1—उत्तर प्रदेश में प्रसूति एवं शिशु परिचर्या, जुलाई, 1980–जून, 1981 (रा0प्र0स0 35वीं आवृत्ति अनुसूची 25.1 पर आधारित)

2—उत्तर प्रदेश में विकलांग व्यक्ति जुलाई, 1991–दिसम्बर, 1991–त्वरित रिपोर्ट (रा0प्र0स0 47वीं आवृत्ति अनुसूची 0.0 पर आधारित)

3—उत्तर प्रदेश में पारिवारिक उपभोक्ता व्यय, जुलाई, 1991–दिसम्बर, 1991 (रा0प्र0स0–47वीं आवृत्ति अनुसूची 1.0 पर आधारित)

4—उत्तर प्रदेश पिछड़ेपन की एक झलक ।

5—ए ग्लिम्पस आफ बैकवर्डनेस आफ यू0 पी0 ।

6—ट्रेन्ड्स इन इण्टर रीजनल डिस्पैरिटीज ।

7—पावर्टी इन उत्तर प्रदेश–ऐन एप्रेजमेन्ट ।

8—स्टेट्स पेपर आन स्टेट इनकम इस्टीमेट्स, यू0पी0 ।

9—स्टेट्स पेपर आन इन्डस्ट्रियल प्रोडक्शन इन्डेक्स आफ यू0पी0 ।

10—एनुअल सर्वे आफ इन्डस्ट्रीज इन यू0पी0–प्रेजेन्ट स्टेट्स प्राब्लेम्स एण्ड सजेशन्स ।

11—नेशनल सेम्पुल सर्वे इन यू0 पी0 प्रेजेन्ट स्टेट्स, प्राब्लेम्स एण्ड सजेशन्स ।

12—क्वालिटो आफ लाइफ कम्परेटिव स्टेट्स आफ यू0पी0 ।

13—ए पेपर आन रूरल–अरबन इन्टरफेसिंग फार सस्टेनेबुल ग्रोथ ।

अध्याय 4

विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग

4.1--इस प्रभाग की स्थापना वर्ष 1954 में एक शोध संस्थान के रूप में क्षेत्रीय परिस्थितियों के अध्ययन, विभिन्न समस्याओं के अभिज्ञान एवं ग्रामीण परिस्थितियों में अग्रगामी विकास योजनाओं तथा परीक्षणों द्वारा उनके व्यावहारिक हल जिनका प्रचार/प्रसार किया जा सके, के खोजने के उद्देश्य से की गयी थी। प्रभाग में कार्यरत कुशल समाजशास्त्री, प्राविधिक विशेषज्ञ एवं मूल्यांकनकर्त्ता संयुक्त रूप से यह प्रयास करते हैं कि विभिन्न योजनाओं के उद्देश्य की पूर्ति, उनका उचित मूल्यांकन एवं उनकी प्राविधिक दक्षता भली प्रकार से सुनिश्चित हो सके। अपने स्थापना काल वर्ष 1954 से आज तक ग्रामीण उद्योग, ग्राम पंचायत, सहकारिता, ग्राम्य स्वास्थ्य, कृषि विकास, गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत, स्वच्छ पेयजल, महिला एवं युवक कल्याण, लघु सिंचाई आदि क्षेत्रों में महत्व पूर्ण कार्यों के लिये इस संस्थान को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ख्याति प्राप्त संस्थान माना जा रहा है। वर्तमान में प्रभाग द्वारा मुख्यतः स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, ग्रामीण व्यर्थ जल निकासी के लिये भूमिगत नाली, पी0आर0ए0आई0 टाइप शौचालय, धुंआ रहित जनता बायोगैस संयंत्र, ऊर्जा के क्षेत्र में सोलर डिस्टीलेशन, सोलर लाइट आदि क्षेत्रों में शोध विभिन्न विभागों के सहयोग से सम्पादित किया जा रहा है।

4.2--प्रभाग द्वारा सर्वप्रथम प्राप्त योजनाओं को अग्रगामी योजना के रूप में एक रूपरेखा तैयार कर प्रदेश के किसी एक क्षेत्र में सफलतापूर्वक परीक्षण किया जाता है। विशेषज्ञों द्वारा उनका मूल्यांकन करके यह देखा जाता है कि किस स्तर तक सफलता मिली है और विकास के क्षेत्र में इसका चतुर्दिक क्या प्रभाव पड़ा है उक्त के आधार पर यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि इस योजना को आगे चलाया जाना है अथवा नहीं। विभिन्न परिस्थितियों वाले दूसरे क्षेत्र में टेस्ट प्रोजेक्ट के रूप में चलाकर इसकी सफलता सिद्ध होने पर यह योजना प्रसार हेतु सम्बन्धित विभाग को स्थानान्तरित कर दी जाती है।

4.3--यह प्रभाग निदेशक के मार्गदर्शन एवं प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। निदेशक की सहायता के लिये उप विकास आयुक्त का एक, ग्राम्य जीवन विश्लेषक का एक, परियोजना प्रशासक के 2, विशेषज्ञ के 3, उप निदेशकों का एक, वरिष्ठ शोध अधिकारी के 12, शोध अधिकारी के 16, मैनेजर-कम-सेरेमिस्ट का एक, संख्याविद् (सांख्यिकी) का एक तथा सम्पादक एवं सूचना अधिकारी का एक राजपत्रित पद सृजित है। इनके अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यों में निदेशक की सहायतार्थ अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक तथा वैयक्तिक सहायक का भी एक-एक पद सृजित है। उक्त राजपत्रित पदों के अतिरिक्त प्रभाग के प्राविधिक तथा अनुसचिवीय सम्वर्गों के 306 पद भी सृजित हैं।

4.4--आलोच्य वर्षान्तर्गत प्रभाग द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है :--

4.4.1--ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत की खोज :--

विश्वव्यापी ऊर्जा संकट की पृष्ठ-भूमि में यह प्रभाग अपने प्रारम्भिक सोपान से ही वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की खोज एवं विकास की दिशा में निरन्तर प्रयासरत है। प्रभाग द्वारा संचालित एवं नियंत्रित गोबर गैस अन्वेषण एवं प्रशिक्षण केन्द्र, अजीतमल (इटावा) तथा गोबर गैस अन्वेषण एवं प्रशिक्षण उपकेन्द्र, चकगंज-रिया (लखनऊ) पर नवीन गोबर गैस संयंत्रों की डिजाइनों के विकास एवं परीक्षण तथा गैस उत्पादन में तकनीकी विकास करने की दृष्टि से शोधमूलक क्रियात्मक शोध परीक्षण कार्यों को सम्पन्न करने के साथ ही सौर ऊर्जा के ऐसे सस्ते और सुलभ उपकरणों के निर्माण का परीक्षण कार्य किया जा रहा है जो वैकल्पिक ऊर्जा के क्षेत्र में सहायक हो और जनसमुदाय इससे लाभान्वित हो सके।

4.4.1.1--बायो-गैस तकनीकी विकास के क्षेत्र में किये गये शोध परीक्षण/विकास कार्य :

यह प्रभाग अपने प्रारम्भिक वर्ष 1954 एवं विशेषकर 1960 से गोबर गैस तकनीकी विकास के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। सर्वप्रथम प्रभाग के प्रांगण में, फिर चिनहट और अन्ततः अग्रगामी विकास प्रायोजना, अजीतमल (इटावा) में बायोगैस कार्य का विस्तार हुआ। यही कार्यस्थली कालान्तर में गोबर गैस स्टेशन, अजीतमल (इटावा) के नाम से जानी जाने लगी और इसे अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई। इसे भी कालान्तर में गोबर गैस अन्वेषण एवं प्रशिक्षण केन्द्र नाम दिया गया। इस केन्द्र पर स्थापित प्रयोगशाला में अनेकानेक शोधमूलक प्रयोग परीक्षण किये जाते रहे और विभिन्न प्रकार के बायोगैस चालित उपकरणों का सफल विकास किया गया।

(क) इटावा जिले के ग्राम फतेहसिंह का पुरवा में सामुदायिक बायो-गैस संयंत्र की स्थापना :

यूनीसेफ द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित योजना के अन्तर्गत वर्ष 1976-77 में इटावा जिले के "फतेह सिंह का पुरवा" ग्राम में देश के प्रथम सामुदायिक बायो-गैस की स्थापना की गयी । इस गांव में विद्युत् का अभाव था । ग्राम के कुल 27 परिवारों को दोनों समय भोजन बनाने हेतु, सड़क-रोशनी हेतु गैस की उपलब्धता की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने के साथ-साथ आटा-चक्की, थ्रेसर एवं नलकूप चलाने हेतु गोबर गैस को विद्युत् में परिवर्तित कर विद्युत् आपूर्ति सुविधा भी उपलब्ध करायी गयी । इससे ग्रामीण समुदाय लाभान्वित हुआ । समय-समय पर देश-विदेश के अनेकानेक दलों द्वारा इस कार्य का निरीक्षण भी किया गया ।

(ख) जनता गोबर गैस माडल-1 का विकास :

बायो-गैस के क्षेत्र में पहले सामुदायिक बायो-गैस संयंत्रों का व्यापक प्रचलन हुआ, किन्तु कालान्तर में उसमें कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां अनुभव की गयी । अतः आर्थिक उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए परिवार साइज के गोबर गैस संयंत्रों को विकसित किया जाना अधिक उपयोगी पाया गया । परिवार साइज के बायोगैस संयंत्रों के विकास में प्रभाग द्वारा क्रान्तिकारी योगदान प्रदान किया गया ।

परिवार साइज के जो संयंत्र प्रचलित थे, जैसे-के0 वी0 आई0 सी0 माडल, उसमें लोहे के भारी भरकम ड्रम का प्रयोग किया जाता था । किन्तु बाद में यह पाया गया कि इसके अन्तर्गत लोहे एवं पानी का निरन्तर सम्पर्क होने के कारण जंग लग जाने से बायोगैस संयंत्र निष्क्रिय हो जाते थे तथा रख-रखाव पर भी अधिक धन व्यय होता था । अतः इन कठिनाइयों के निवारण की दृष्टि से इस प्रभाग द्वारा वर्ष 1978-79 में दो, तीन घन मीटर एवं छः घन मीटर क्षमता के भूमिगत "जनता गोबर गैस संयंत्रों" का सफल विकास किया गया जिसमें लोहे का कोई प्रयोग नहीं किया जाता था और जिसकी निर्माण लागत अपेक्षाकृत कम थी तथा रख-रखाव नगण्य था । अतः विशिष्ट एवं रचनात्मक विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार के डिपार्टमेन्ट आफ साइन्स एवं टेक्नोलाजी विभाग द्वारा इसका अनुमोदन किया गया जिसके परिणामस्वरूप इसे अखिल भारतीय स्तर पर सहर्ष अपनाया गया । आवश्यक अनुदान एवं ऋण भारत सरकार द्वारा अनुमन्य किया गया । इससे राष्ट्रीय व्यय में पर्याप्त बचत हुई ।

मिनी डेरीज एवं बड़े कृषकों के उपयोगार्थ 15 घनमीटर एवं 30 घनमीटर क्षमता के संयंत्रों का भी सफल विकास किया गया जिसकी निर्माण लागत प्रचलित संयंत्रों से अपेक्षाकृत पर्याप्त कम आयी है ।

(ग) जनता गोबर गैस माडल-2 (क्षमता 2 घनमीटर) का विकास :

प्रभाग द्वारा भूमिगत "जनता गोबर गैस संयंत्र माडल-1" के सफल विकास के पश्चात् एक एफ्रो (ए0 एफ0 पी0 आर0 ओ0) नामक गैर-सरकारी संस्था द्वारा वर्ष 1986-87 में "दीन बन्धु" नामक गोबर गैस संयंत्र का विकास किया गया जिसकी निर्माण लागत गोबर गैस संयंत्र माडल-1 की अपेक्षा कम आयी । अतः भारत सरकार के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग द्वारा संयंत्र को अनुमोदित किया गया ।

चूंकि इस प्रभाग द्वारा निरन्तर ग्रामीण समुदाय के हितार्थ शोध परीक्षण कार्य किये जाते रहे, अतः प्रयत्नशील रहते हुए इस प्रभाग द्वारा वर्ष 1993 में जनता गोबर गैस संयंत्र माडल-2 (क्षमता 2 घनमीटर) का सफल विकास किया गया जिसकी निर्माण लागत वर्तमान में प्रचलित "दीन बन्धु संयंत्र" की निर्माण लागत की अपेक्षा 1000 रुपये कम आयी । इस संयंत्र की निर्माण लागत कम होने के साथ-साथ यह अतिरिक्त विशेषता है कि यदि संयंत्र धारक भूलवश संयंत्र में निर्धारित मात्रा से अधिक गोबर फीड कर देता है तो रचनात्मक विशेषता के कारण फीड किया हुआ अतिरिक्त गोबर स्वतः ही आउटलेट से बाहर निकल जायेगा । फलस्वरूप संयंत्र किसी भी दशा में चोक नहीं होगा । यह समस्या अब तक प्रचलित संयंत्रों में थी जिसका स्थायी निराकरण इस संयंत्र की डिजाइन में किया गया है ।

इस प्रभाग द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तकनीक का लाभ ग्रामीण जनसमुदाय को सुलभ कराने हेतु संयंत्र की डिजाइन का औपचारिक अनुमोदन भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय के गैरपारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग, नई दिल्ली द्वारा प्रदान कर दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप अब यह बायो-गैस संयंत्र माडल-2 नेशनल प्रोजेक्ट आन बायो-गैस डेवलपमेन्ट के अनुमोदित माडल की सूची में सम्मिलित कर लिया गया है । यह संयंत्र अब पूरे भारत वर्ष में स्थापित कराये जायेंगे/प्रभाग एवं उत्तर प्रदेश शासन की यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है ।

प्रकरणगत संयंत्र के विकास/शोध परीक्षण कार्यों का भारत सरकार के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के निदेशक (बायो-गैस) डा0 के0 सी0 खण्डेलवाल द्वारा वर्ष 1992-93 में गहराई से अध्ययन/अवलोकन किया गया । इसी प्रकार नियोजन एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन सचिव श्री एच0 एल0 बिरदी, अफ्रीकन दल (जिनके साथ ए0 टी0 डी0 ए0 के निदेशक भी थे), जिला विकास अधिकारी, लखनऊ, श्री अरविन्द मोहन, सचिव, नियोजन तथा श्री शैलेश कृष्ण, निदेशक, नेडा द्वारा निरीक्षण भी किया गया । उपरोक्त गणमान्य अधिकारियों द्वारा बायो-गैस के क्षेत्र में इस प्रभाग द्वारा किये जा रहे कार्यों की मुक्तकंठ से प्रशंसा की गयी । इसके अतिरिक्त वर्ष 1993-94 में माननीय अध्यक्ष, व्यय बचत आयोग श्री एन0 एम0 मजूमदार द्वारा इस प्रभाग के गोबर गैस अन्वेषण एवं प्रशिक्षण उपकेन्द्र, चकगंज-

रिया का विस्तार पूर्वक निरीक्षण किया गया । दिनांक 7 अक्तूबर, 1993 से दिनांक 22 अक्टूबर, 1993 तक एक "जनता गोबर गैस संयंत्र माडल–2" के निर्माण में व्यावहारिक प्रशिक्षण का आयोजन किया गया जिसमें लखनऊ एवं इटावा जनपदों के राजमिस्त्रियों/तकनीकी कर्मचारियों/अधिकारियों को विधिवत प्रशिक्षण दिया गया । इस राष्ट्रीय महत्व के प्रशिक्षण सत्र का शुभारम्भ तत्कालीन सचिव, ग्राम्य विकास विभाग श्री के0 आर0 भाटी एवं नियोजन सचिव श्री जी0 पी0 शुक्ल द्वारा किया गया । इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का कवरेज लखनऊ दूरदर्शन के समाचार में तथा समाचार–पत्रों में किया गया ।

उपरोक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान इस प्रभाग द्वारा नवविकसित दो घनमीटर क्षमता के गोबर गैस संयंत्र का दो लाभार्थियों के आवास के निकट प्रशिक्षण पाने वाले व्यक्तियों से ही निर्माण कराया गया । उल्लेखनीय है कि दोनों ही संयंत्र अत्यन्त सफलतापूर्वक क्रियाशील हैं तथा दोनों ही संयंत्र के लाभार्थीगण पूर्णरूपेण लाभान्वित हो रहे हैं । इस प्रभाग द्वारा तीन लाभार्थियों के आवास के निकट बायो गैस संयंत्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराया गया ।

(घ) इस प्रभाग द्वारा अभी हाल में ही बायोगैस कैरीबैग का विकास किया गया है । इस बैग में संयंत्र स्थल से गैस भरकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है । इसका वजन कुल 3.5 कि0 ग्रा0 है । इसे स्कूल के बस्ते की भांति कन्धे पर लाद कर ले जाया जा सकता है जिसके लिये दो बेल्टों का प्राविधान है । गैस भरने एवं निकासी के लिये प्लास्टिक के गेट वाल्व का प्राविधान किया गया है । इस बैग में भरी हुई गैस से साढ़े तीन घण्टे बायोगैस लैम्प एवं सात घण्टे गैस लैम्प जलाया जा सकता है । इसकी निर्माण लागत कुल रु0 500 आई है । यह उन संयंत्र धारकों के लिये अत्यन्त उपयोगी साबित होगा जिनके संयंत्र उनके आवास से दूर हों ।

उपरोक्त के अतिरिक्त 3, 4 एवं 6 घनमीटर क्षमता के बायोगैस संयंत्रों की डिजाइन का अभिकल्पन एवं विकास किया जा रहा है । पोर्टेबुल बायोगैस संयंत्र डिजाइन के अभिकल्पन एवं विकास का कार्य तत्परता से किया जा रहा है । गैस उत्पादन बढ़ाने एवं वैकल्पिक फील्ड पदार्थों पर शोध विकास परीक्षण कार्य जारी है । प्रदेश एवं अन्य प्रदेशों में बायोगैस तकनीकी में परामर्श सेवा उपलब्ध कराई जा रही है । सुगम एवं बोधगम्य साहित्य का सृजन किया गया जो ग्रामीण समुदाय के लिए क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिए उपयोगी होगा । इससे बायोगैस तकनीक का प्रचार/प्रसार सम्भव हो सकेगा ।

4.4.1.2––सौर ऊर्जा :

वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों में सौर ऊर्जा का महत्व कुछ ज्यादा ही है । वर्तमान प्रचलित दैनिक उपयोगी सौर उपकरण अत्यन्त कीमती होने के कारण आम आदमी इसकी पहुंच से काफी दूर रह जाता है । शासन स्तर से दिया जा रहा अनुदान धीरे–धीरे कम होता जा रहा है । इस स्थिति में इन उपकरणों की कीमतें कम किये जाने हेतु निरन्तर प्रयास जारी हैं । प्रभाग द्वारा विगत वर्षों में सोलर कुकर, सोलर वाटर डिस्टीलेशन संयंत्र, सोलर लाइट, सोलर ड्रायर, सोलर ओवन इत्यादि से सम्बन्धित कार्य भी प्रारम्भ किये गये हैं । इन उपकरणों पर शोध कार्य कर मूल्य में कमी लाने का सफल प्रयास किया गया है । विशेषकर सोलर कुकर पर नाना प्रकार के माडल तैयार किये गये जिस पर तापमान सम्बन्धी आंकड़े तैयार किये जा रहे हैं तथा भारत सरकार को उनके अनुमोदन हेतु भेजा जाना प्रस्तावित है ।

4.4.2––क्षेत्रीय सेवा कोष्ठ (खाण्डसारी) :

प्रभाग द्वारा खाण्डसारी चीनी की गुणवत्ता एवं रिकवरी बढ़ाने, मशीनों की दक्षता में सुधार, गीलीकोई के उपयोग से ईंधन की बचत एवं पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने का सफल प्रयास किया गया । प्रदेश में कुल गन्ने की उपज का 65 प्रतिशत भाग खाण्डसारी एवं गुड़ बनाने के लिये उपयोग में लाया जाता है । इस क्षेत्र के विकास हेतु शासन स्तर से पर्याप्त व्यवस्था हेतु इस प्रभाग के अतिरिक्त अन्य कोई संस्था या कार्यालय कार्यरत नहीं है । वर्तमान में खाण्डसारी के साथ–साथ गुड़ उत्पादन, इसकी गुणवत्ता में सुधार हेतु इस उद्योग में प्रचलित मशीनरी तथा गुड़ भट्ठियों में सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है जिसके लिए प्रभाग स्तर से प्रयास जारी है । आगामी समय में भी गुड़ एवं खाण्डसारी क्षेत्र में निरन्तर तकनीकी परामर्श की आवश्यकता बनी रहेगी साथ ही शोध कार्यों की भी आवश्यकता है जिससे उद्योग की आर्थिक सक्षमता बनी रहे और प्रदेश में इसका अधिक उत्पादन बढ़े ।

प्रदेश स्तर पर सल्फीटेशन पद्धति पर कार्यरत लगभग 1100 इकाइयों को समय–समय पर आवश्यकतानुसार तकनीकी परामर्श दिया जाता रहा है । अभी गत माह में प्रभाग स्तर से मद्रास एवं गुजरात स्थित दो सल्फीटेशन इकाइयों को तकनीकी परामर्श दिया गया है ।

4.4.3––प्ररचना निर्माण कोष्ठ :

इस कोष्ठ द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के उद्योगों को वृहद्/उच्च तकनीक के उद्योगों को लघु स्तर की तकनीक का प्रयोग कर उपयुक्त एवं आर्थिक रूप से समृद्ध उद्योगों की स्थापना में सहयोग प्रदान किया जाता है । इस प्रभाग

द्वारा संचालित अन्य विभिन्न योजनाओं के लिए ड्राइंग, डिजाइन एवं ब्लूप्रिन्ट ट्रेसिंग तैयार कर उनके पूरक संगठन के रूप में भी इस कोष्ठ द्वारा सहयोग दिया जाता है ।

4.4.4--चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की अग्रगामी योजना :

क्षेत्र की गरीबी, बेरोजगारी तथा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ेपन को दूर करने के उद्देश्य से चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने एवं कम लागत से उत्पादित करने, स्थानीय उद्यमियों को प्राविधिक तथा निर्दिष्टियों का उद्योग क्षेत्र में प्रसार करते हुए बेरोजगार ग्रामीण कुम्हारों को प्रशिक्षण देने तथा उन्हें विकेन्द्रित इकाइयां किराया क्रय पद्धति पर उपलब्ध कराने हेतु इलाहाबाद जनपद के फूलपुर क्षेत्र के औद्योगिक आस्थान में इस योजना का शुभारम्भ वर्ष 1971-72 में किया गया ।

योजना के प्रारम्भ में वर्ष 1980 तक 12 विकेन्द्रित इकाइयों का निर्माण कराकर इच्छुक तथा इस क्षेत्र के प्रशिक्षित बेरोजगार युवकों को समय-समय पर उनकी मांग के अनुसार आवंटित की जाती रही । वर्तमान में 10 इकाइयां आवंटित हैं ।

अब तक 497 टन बाडी तथा 400 कुन्टल ग्लेज प्रोजेक्ट के स्लिप हाउस में तैयार कर स्थानीय उद्यमकर्ताओं को उपलब्ध कराये गये । 40 नये प्रकार की डिजाइनों का विकास किया गया । 2725 इच्छुक युवकों को अब तक प्रोजेक्ट तथा प्रोजेक्ट के माध्यम से ट्राइसेम योजना से छात्रवृत्ति की सुविधा दिलाकर प्रशिक्षित किया गया । इकाइयों के निर्मित तैयार कच्चे माल की बिक्री से रु0 21,38,965 की प्राप्ति हुई है ।

इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण अंचलों में भूमिगत नाली निकास, नाली हेतु कम लागत वाले रेड क्ले पाइप का निर्माण, ग्रामवासियों का रेडक्ले का निर्माण विधि सम्बन्धी प्रशिक्षण सत्र, कम लागत की बाडी ग्लेज तथा फायर ब्रिक्स बनाने हेतु शोधात्मक परीक्षण किये गये जिनके द्वारा ग्रामीण अंचलों में स्वरोजगार सृजन करते हुए लघु उद्योगों में वृद्धि होगी ।

योजना के मुख्य पदों के पद धारकों के अभाव में होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए योजना को उद्योग विभाग को हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही शासन स्तर पर नियोजन विभाग तथा उद्योग विभाग के मध्य विचाराधीन है । इस विषय में कई बैठकें शासन स्तर पर हो चुकी हैं और हस्तान्तरित किये जाने की कार्यवाही अभी अन्तिम चरण में चल रही है ।

4.4.5--ग्रामीण स्वास्थ्य एवं वातावरणीय स्वच्छता कार्यक्रम :

इस प्रभाग द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य एवं वातावरणीय स्वच्छता के क्षेत्र में क्रियात्मक शोध कार्य के अन्तर्गत ग्रामीणों की मूलभूत स्वास्थ्य एवं स्वच्छता सम्बन्धी समस्याओं के निदान हेतु विभिन्न कार्यक्रम वर्ष 1954 से संचालित किये जा रहे हैं । ग्रामीण क्षेत्र के स्वास्थ्य एवं स्वच्छता विषयक समस्याओं का अध्ययन कर उनके समाधान के लिए विभिन्न क्रियात्मक शोध परियोजनाओं का आयोजन कर कार्यक्रम विकसित किये गये । कार्यक्रमों को विकसित करने के लिए विभिन्न पक्षों, कार्य प्रणाली आवश्यकताओं, स्वास्थ्य शिक्षा विधियों एवं शिक्षण साधनों को अपनाया गया । इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य शाखा द्वारा वातावरणीय स्वच्छता अनुसंधान प्रदर्शन एवं सेवारत प्रशिक्षण केन्द्र, बन्थरा की स्थापना वर्ष 1971-72 में की गयी । इस केन्द्र के अन्तर्गत विभिन्न स्वच्छता सम्बन्धी कार्यक्रमों को विशिष्ट क्षेत्रों में प्रदर्शन माडल के रूप में विकसित किया गया । इस क्रियात्मक शोधपरीक्षण सम्बन्धी परियोजनाओं के परिणामों की जानकारी देना तथा स्वास्थ्य शिक्षाविधियों एवं साधनों के विकास करने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों/ कर्मचारियों/स्वयं सेवी संस्थाओं तथा विशिष्ट अतिथियों के लिए सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन की व्यवस्था करना इसका अनिवार्य अंग है । इसी के साथ-साथ स्वच्छता सुविधाओं के लिए विकसित विभिन्न विधियों के आदर्शों के उत्पादन के लिए कार्यशाला स्थापित करने में सहयोग एवं मार्ग दर्शन देना तथा इन कार्यक्रमों के लिए स्थानीय संसाधनों जैसे-स्थानीय कारीगरों, जनशक्ति, भौतिक संसाधनों के स्रोतों की खोज करके प्रचार/प्रसार करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है । ग्रामीण स्वास्थ्य शाखा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कई विशिष्ट उल्लेखनीय कार्य किये गये हैं जिनमें मानव-मल को स्वास्थ्यजनक तरीके से निस्तारण हेतु पी0आर0ए0आई0 टाइप जलबन्द स्वच्छ शौचालय की परिकल्पना एवं विकास, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वच्छ पेयजल आपूर्ति हेतु हैण्डपम्प की स्थापना एवं समुचित टोंटीदार नलों की व्यवस्था, घरों में प्रयोग किये गये व्यर्थ जल निकासी हेतु दरजादार भूमिगत पाइप नाली का विकास करना तथा घरों में नहाने-धोने के लिए चबूतरों, घड़ौंची, फूडसेफ एवं धुम्र रहित चूल्हों की स्थापना/निर्माण प्रमुख हैं । ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शौचालयों का निर्माण लागत कम करने के उद्देश्य से सुपर स्ट्रक्चरों का विकास स्थानीय संसाधनों एवं शिल्पों का प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रयोग परीक्षण किये जा रहे हैं ।

प्रायोजना के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में वातावरणीय स्वच्छता एवं स्वास्थ्य से सम्बन्धित सेवाओं/विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में विकास विभागों एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं को समय-समय पर अल्पकालीन व्यावहारिक एवं शैक्षिक प्रशिक्षण प्रदान करने तथा विशिष्ट क्षेत्रों में निर्मित विभिन्न स्वच्छता सुविधाओं की विधियों के विकसित माडलों सम्बन्धी प्रशिक्षण देने का मुख्य भौतिक लक्ष्य रखा गया जिसके सापेक्ष माह नवम्बर, 1995 तक

10 प्रशिक्षण सत्रों में से दो प्रशिक्षण सत्र तथा 50 प्रशिक्षार्थियों में से 10 प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। स्वच्छता उपादानों के प्रदर्शन में 100 के सापेक्ष 44 की पूर्ति की गई है। इसके साथ ही विभिन्न स्वच्छता सुविधाओं के प्रचार/प्रसार हेतु स्वच्छ शौचालयों, भूमिगत नाला व्यवस्था, धुआं रहित चूल्हा, हैण्डपम्प, गलियों में खड़न्जा बिछाना, कूड़ा–करकट एवं गोबर आदि के लिये कम्पोस्ट गड्ढे और छायादार व फलदार वृक्षारोपण में तकनीकी मार्ग–दर्शन एवं सहयोग दिया जा रहा है। स्वास्थ्य शिक्षा सेवाओं के अन्तर्गत व्यक्तिगत सम्पर्क एवं बैठकें की गई। शाखा द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घरों में प्रयोग किये गये व्यर्थ जल निकासी हेतु भूमिगत नाली सम्बन्धी युगान्तरकारी सफल प्रयोग परीक्षण जो सर्वथा मौलिक एवं नवीन प्रयोग है, का ग्राम सभा–बंथरा के अकबरपुर मजरे में किया गया है, जिसे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों द्वारा विशेष रूप से सराहा गया है क्योंकि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के कार्यक्रमों के अन्तर्गत निर्मित की जाने वाली खुली नालियों की अपेक्षा प्रभाग द्वारा विकसित भूमिगत पाइप नालो की निर्माण लागत काफी कम है और रख–रखाव की दृष्टि से अत्यन्त सरल तथा अपेक्षाकृत अधिक स्थायी है।

वर्तमान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के वित्तीय सहयोग से ढक्कनदार पाइपों की भूमिगत पाइप नाली व्यवस्था का रेप्लीकेशन कार्य ग्राम–अम्बेदकर नगर एवं शिवपुरा, ग्राम सभा–खण्डेदेव, विकास खण्ड–सरोजनीनगर में युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। गांवों का तकनीकी सर्वेक्षण आदि कार्य पूर्ण हो चुका है तथा पाइपों व उनके अवयवों का कास्टिंग सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है। अब इस तकनीक को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं द्वारा लागू कर ग्रामीण क्षेत्रों के ग्रामवासियों के घरों में प्रयोग किये गये।

4.4.6—एकीकृत क्षेत्र विकास परियोजना :

प्रदेश में चलाये जा रहे सामुदायिक विकास कार्यक्रमों में पायी जाने वाली विभिन्न कमियों को दूर करने के उद्देश्य से प्रभाग द्वारा प्रदेश में तीन एकीकृत विकास परियोजनायें गाजीपुर/बलिया, मेरठ तथा अजीतमल (इटावा) में चलायी जा रही हैं। इनमें से एकीकृत क्षेत्र विकास अभिकरण, मेरठ का कार्य पूरा करने के पश्चात् बन्द कर दिया गया है। अजीतमल (इटावा) तथा गाजीपुर/बलिया को विकास एजेन्सियों द्वारा प्रखण्ड विकास के क्षेत्र में किये गये कार्यों के महत्व को देखते हुए इनके पुनर्गठन का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है।

4.4.7—सहकारिता शाखा :

नवीन पंचायती राज अधिनियम के परिप्रेक्ष्य में परिवर्तित ग्रामीण परिवेश में प्रभाग की सहकारिता शाखा द्वारा ग्रामीण जनजीवन को समृद्धिशाली बनाने हेतु सहकारी पक्ष को सबल बनाने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान की परियोजना सुविचारित करना प्रस्तावित है।

4.4.8—जन सहभागिता द्वारा बीहड़ सुधार परियोजना, रामगढ़/बड़ेरा :

उत्तर प्रदेश में भूमि कटाव एक भीषण समस्या है। प्रदेश की लगभग साढ़े बारह लाख हेक्टेअर भूमि मिट्टी के कटाव से ग्रसित है तथा इसमें निरन्तर वृद्धि हो रही है। भूमि कटाव से खेती योग्य भूमि तो नष्ट होती ही है साथ ही इससे उथले एवं गहरे बीहड़ों का भी निर्माण होता है। जैसा सर्वविदित है कि बीहड़ों से दस्यु समस्या भी जुड़ी हुई है। अतः भूमि क्षरण एवं उसके फलस्वरूप उत्पन्न बीहड़ अपने प्रदेश के लिए एक बहुत विकराल समस्या रहा है।

भूमि संरक्षण के क्षेत्र में प्रभाग अपनी स्थापना वर्ष अर्थात् 1954 से ही अग्रणी रहा है। पूर्व में जनपद इटावा के गाहना कला आदि ग्रामों में भूमि संरक्षण का अद्वितीय कार्य किया गया। वैसे तो उथले खारों के लिए इ0 इ0 सा0 तथा वन विभाग द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, परन्तु गहरे खारों के स्थायी समाधान के लिए प्रभाग द्वारा जो कार्य पद्धति विकसित की गई है उसे वास्तविक फील्ड परिस्थितियों में लागू करने हेतु जनपद इटावा में वर्ष 1979 में महेवा विकास खण्ड के अन्तर्गत रामगढ़ नामक स्थान में 138.16 हेक्टेअर भूमि का चयन किया गया और एक अग्रगामी विकास परियोजना संचालित कर गहरे बीहड़ का एक माडल विकसित किया गया। इस परियोजना के अन्तर्गत अब तक लगभग 2 लाख पौधों का रोपण किया जा चुका है जिनका अनुमानित मूल्य लगभग 42.60 लाख रुपये है।

उक्त परियोजना की तकनीकी सफलता की पुष्टि अपने प्रदेश के ही नहीं, वरन् देश के सुविख्यात भूमि संरक्षण विशेषज्ञ डा0 आर0 एन0 गुप्ता के निरीक्षण टिप्पणी में भी की गई है। यही नहीं, परियोजना स्थल के अवलोकन से अभिभूत होकर प्रदेश सरकार के तत्कालीन नियोजन सचिव श्री बृज किशोर जी ने दिनांक 28 जनवरी, 1991 को अपने उद्‌गार इस प्रकार प्रकट किये हैं :

"मैंने कभी भी ऐसे बीहड़ को इतना मनोरम स्थल बनते नहीं देखा है जबकि मुझे कई देशों में इस प्रकार का कार्यक्रम देखने को मिला। इस कार्यक्रम में लगे जनमानस तथा कर्मी बधाई के पात्र हैं, सचमुच इन्होंने जंगल को मंगल बना दिया है।"

श्री बृज किशोर, तत्कालीन नियोजन सचिव द्वारा रामगढ़ परियोजना के वृहद निरीक्षण के उपरान्त दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में रामगढ़ परियोजना के सफल प्रयोग परीक्षण का रेप्लीकेशन सम्बन्धी कार्य जन सहभागिता के माध्यम से जनपद इटावा के निम्नलिखित ग्रामों में कराया गया है :

1--ग्राम बड़ेरा, विकास खण्ड अजीतमल के 32 हेक्टेअर बीहड़ ग्रस्त भूमि पर कराया गया रेप्लीकेशन कार्य ।

2--ग्राम मुंचाई, विकास खण्ड महेवा के 38 हेक्टेअर बीहड़ ग्रस्त भूमि पर कराया गया रेप्लीकेशन कार्य ।

उल्लेखनीय है कि उक्त दोनों ग्रामों में बीहड़ से प्रभावित एक पूरा "वाटर शेड एरिया" बीहड़ सुधार के लिए लिया गया है और इन दोनों ग्रामों में बीहड़ सुधार का जो रेप्लीकेशन सम्बन्धी कार्य जनसहभागिता के अतिरिक्त इनपुट के साथ सम्पन्न कराया गया है वह भी अपने आप में अत्यन्त सफल, अनुपम एवं अनुकरणीय है । इस रेप्लीकेशन सम्बन्धी कार्य को जिन विषय विशेषज्ञों तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों ने देखा है उन्होंने मुक्तकंठ से इसकी सराहना की है । ग्राम बड़ेरा के बीहड़ सुधार सम्बन्धी रेप्लीकेशन कार्य का वृहद निरीक्षण दिनांक 30 अगस्त, 1994 को श्री अरुण कुमार मिश्रा, सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा किया गया । अवलोकनोपरान्त वे इस रेप्लीकेशन कार्य से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश को इस प्रभाग की देख-रेख में उद्यान विभाग द्वारा इस कार्य को और आगे बढ़ाने के लिए विस्तृत निर्देश प्रदान किया ।

इसी प्रकार ग्राम भरतोल, विकास खण्ड औरैया में 500 हेक्टेअर के बीहड़ क्षेत्र पर रप्लीकेशन का कार्य द्रुतगति से प्रगति पर है ।

इस प्रभाग द्वारा बीहड़ सुधार सम्बन्धी जो कार्य रामगढ़ में तथा उसके रेप्लीकेशन सम्बन्धी कार्य अन्य ग्रामों में कराया गया है इसके फलस्वरूप बीहड़ के ऐसे क्षेत्र, जहां नमी नहीं है, में ऐसी सरल बीहड़ सुधार सम्बन्धी पद्धति विकसित की गयी है जिससे अनुपजाऊ भूमि पर जल संरक्षण, भूमि संरक्षण, विविध प्रकार की वानिकी तथा औद्यानिकी एवं फसल सुरक्षा सरलता से की जा सकती है ।

भविष्य में अपने प्रदेश के ही नहीं वरन् अन्य प्रदेशों के बीहड़ ग्रस्त भागों को इस प्रभाग द्वारा विकसित की गई बीहड़ सुधार कार्य पद्धति से लाभान्वित करने हेतु सरकारी, गैर सरकारी एवं स्वंय सेवी संस्थाओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से जनपद इटावा के रामगढ़ नामक स्थान में एक बीहड़ सुधार अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना किये जाने की कार्यवाही प्रगति पर है । उसे साकार रूप देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त विषय विशेषज्ञ एवं विचारक डा0 रामदास की अध्यक्षता में एक अध्ययन/सर्वेक्षण दल का गठन शासन के अनुमोदन से किया गया है । इस अध्ययन दल में ख्यातिप्राप्त दो अन्य विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में रखे गये हैं । इस विशिष्ट अध्ययन/सर्वेक्षण के उपरान्त इस कार्य को एक निश्चित दिशा दी जा सकेगी ।

4.4.9--ग्राम्य जीवन विश्लेषण एवं सांख्यिकीय कार्य :

प्रभाग की योजनाओं के सफल संचालन में आने वाली समस्याओं/कठिनाइयों का शोधकर्ताओं को जानकारी प्रदान कर, उनके निराकरण हेतु समुचित सुझाव प्रदान करना एवं योजनाओं के कार्यान्वयन में गतिशीलता लाने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देना तथा प्रारम्भिक आंकड़ों का संकलन एवं परिशोधन करना इस शाखा का मुख्य उद्देश्य है । यह शाखा विभिन्न योजना शाखाओं के कार्यान्वयन में अधिकाधिक जन सहयोग करने के लिए मानवीय पक्षों का अध्ययन कर उनकी अभिरुचि का अभिज्ञान तथा योजनाओं की उपादेयता की जानकारी प्रदान करने के साथ ही विभिन्न आर्थिक अध्ययनों के माध्यम से क्रियान्वित योजनाओं की गुणवत्ता व मानवीय पक्षों का समुचित निरूपण कर योजना के प्रचार/प्रसार में सहयोग प्रदान करती है । प्रभाग की परियोजना शाखाओं के अनुरोध पर उनके द्वारा चलाये गये विशेष शोधात्मक कार्यक्रमों का मूल्यांकन भी शाखा द्वारा किया जाता है । इस शाखा द्वारा वायोगैस माडल-2 के सकारात्मक प्रभाव का मूल्यांकन, बीहड़ सुधार परियोजना बड़ेरा, मुचाई एवं कोला पालोधार, अजीतमल (इटावा) का मूल्यांकन, नवीन पंचायतीराज व्यवस्था में महिला पदाधिकारियों का सामाजिक अध्ययन, ग्रामीण बालिकाओं की प्राथमिक शिक्षा की स्थिति का अध्ययन तथा प्रभाग का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन (1994-95) तैयार करने का कार्य प्रगति पर है ।

4.4.10--प्रकाशन :

प्रभाग के शोध एवं परीक्षण कार्यों की उपलब्धियों को विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से जनसामान्य तक पहुंचाने के उद्देश्य से अब तक कुल 432 पुस्तकें, फोल्डर्स, प्रतिवेदन आदि प्रकाशित किये जाने के साथ ही प्रभाग की साइक्लोस्टाइल सामग्रियों हेतु कवर पृष्ठ तथा अन्य कई छोटी-छोटी सामग्रियों को भी मुद्रित कराया गया । इसके अतिरिक्त प्रभाग की योजनाओं पर प्रकाशित साहित्य योजना के कार्य-कर्त्ताओं, देश-विदेश की विभिन्न संस्थाओं तथा विकास कार्यों में लगे व्यक्तियों की मांग के अनुसार उन्हें उपलब्ध कराये गये ।

प्रकाशनों को बोधगम्य बनाने हेतु रेखचित्रों, चित्रों, डायग्रामों, चार्ट्स, वीडियो, फोटोग्राफी आदि से सुसज्जित कराने की दृष्टि से प्रभाग द्वारा किये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :--

1--वायोगैस उपकेन्द्र चकगंजरिया के कार्य-कलापों के फोटोग्राफ, साइन्टिफिक चार्ट्स/ग्राफ चार्ट तैयार कर इन्हें प्रकाशित कराये गये ।

2--शासन को भेजी जाने वाली विभिन्न रिपोर्ट्स के आवरण पृष्ठ तैयार कर उन्हें भेजे गये ।

3--बायो-गैस सम्बन्धी फोल्डर बनवाकर वितरित किये गये ।

4--बीहड़ सुधार कार्यक्रम हेतु कई प्रकार के मानचित्र तैयार कर योजनाओं हेतु भेजे जाने सम्बन्धी सामग्री और वीडियो, फोटों-ग्राफो तथा रेडियो टाक तैयार कर प्रसारित करायी गयी ।

5--सूचना केन्द्र, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रसारण हेतु प्रभाग की बीहड़ सुधार योजना की वीडियो कवरेज तथा भूमिगत नाली परियोजना, बन्थरा, लखनऊ की वीडियो फोटोग्राफो तैयार करने सम्बन्धी कार्य प्रगति पर रहा ।

6--बायो-गैस संयंत्र माडल-2 सम्बन्धी बड़े आकार के लेमिनेटेड फोटग्राफ्स महत्वपूर्ण विभागों/अधिकारियों को प्रचार/प्रसार हेतु उनके कक्ष में लगाये गये ।

अध्याय 5

मूल्यांकन प्रभाग

5.1—नियोजन विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में मूल्यांकन संगठन की स्थापना भारत सरकार द्वारा गठित वर्किंग ग्रुप की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1965 में एक स्वतन्त्र निदेशालय के रूप में की गयी थी । वर्ष 1971–72 में राज्य नियोजन संस्थान, उ0 प्र0 की स्थापना के पश्चात् इस निदेशालय को राज्य नियोजन संस्थान के एक प्रभाग के रूप में सम्मिलित किया गया । इस प्रभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न विकास विभागों की योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों का मूल्यांकन करना है, जिससे विभिन्न कार्यक्रमों की सफलता अथवा असफलता का बोध हो सके और इनके कार्यान्वयन में अनुभूत कठिनाइयों एवं कमियों का विश्लेषण कर सुधारात्मक सुझाव दिये जा सकें । इस प्रकार कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं से अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने में मूल्यांकन अध्ययन पर्याप्त सहायक होते हैं । इसके अतिरिक्त इस प्रभाग द्वारा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयानुसार प्राथमिकता के आधार पर अल्पकालिक मूल्यांकन अध्ययन भी किये जाते हैं । प्रभाग द्वारा किये गये मूल्यांकन अध्ययनों को सम्बन्धित विभागों से विचार विमर्श करने के उपरान्त उन्हें अन्तिम रूप दिया जाता है तथा कार्यान्वयन हेतु सम्बन्धित विभागों को भेजा जाता है ।

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रतिवर्ष योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों के मूल्यांकन कराने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है । वर्ष 1995–96 में 12 मूल्यांकन अध्ययन पूर्ण किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । प्रत्येक अध्ययन एक विशिष्ट शैली/प्रक्रिया एवं निर्धारित मानदण्डों के आधार पर किया जाता है । यद्यपि आवंटित अध्ययनों के पूर्ण होने की स्थिति सम्बन्धित विभागों के सहयोग एवं समन्वयन पर निर्भर करती है, फिर भी इस बात का प्रयास किया जाता है कि वर्ष के अन्त तक निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हो जाये ।

5.2—प्रभाग में मूल्यांकन का कार्य निदेशक के मार्गदर्शन में सम्पादित किया जाता है । इनकी सहायता के लिये संयुक्त निदेशक के 2, ज्येष्ठ मूल्यांकन अधिकारी के 9, मूल्यांकन अधिकारी के 18 तथा प्रशासनिक अधिकारी का एक राजपत्रित पद सृजित है । उक्त के अतिरिक्त तकनीकी कार्यों के सम्पादन हेतु ज्येष्ठ क्षेत्र अनुसंधाता के 8, क्षेत्र अनुसंधाता के 40 तथा अन्वेषक कम–गणक के 15 अराजपत्रित पद भी सृजित हैं ।

5.3—आलोच्य वर्षान्तर्गत (नवम्बर 1995 तक) सम्पादित किये गये कार्यों का विवरण निम्नवत् है :—

(1) उद्योग विभाग की पाटरी विकास की विभिन्न योजनायें–कोछा मावर पाटरी विकास केन्द्र, झांसी ।

(2) बस्ती जनपद में ग्रामीण आवास स्थल योजनान्तर्गत आवंटित स्थलों के सत्यापन का अध्ययन ।

(3) लखनऊ एवं सीतापुर जनपदों में यूनिसेफ सहायतित आंगनबाड़ी केन्द्रों का त्वरित सत्यापन जांच ।

(4) लखनऊ जनपद में संचालित अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का त्वरित मूल्यांकन/जांच ।

5.4—वर्ष की शेषावधि में निम्नलिखित कार्यों/अध्ययनों का पूर्ण किया जाना सम्भावित है :—

(1) अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिये आश्रम पद्धति विद्यालय ।

(2) मण्डी विकास कार्यक्रम ।

(3) उद्योग विभाग की पाटरी विकास की विभिन्न योजनायें–राजकीय चीनी पात्र विकास केन्द्र खुर्जा (केस अध्ययन–चार)

(4) समेकित जल विभाजक कार्यक्रम द्वितीय भाग (पूर्वी क्षेत्र)

(5) समेकित बाल विकास कार्यक्रम (पश्चिमी बुन्देलखण्ड व पश्चिमी क्षेत्र) ।

(6) विपणन खण्ड हेतु सहायता कार्यक्रम ।

(7) पर्वतीय क्षेत्र में औद्योगिक/खनी औद्योगिक आस्थानों की स्थापना ।

(8) सेन्ट्रल सेक्टर स्कीम आन प्रोमोशन आफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन योजना के अन्तर्गत वितरित ट्रैक्टरों का मूल्यांकन ।

(9) नेहरू रोजगार योजना की लघु उद्यम योजना ।

———

अध्याय 6

प्रशिक्षण प्रभाग

6. 1—राज्य नियोजन संस्थान के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्रभाग की स्थापना एक स्वतन्त्र एवं पृथक इकाई के रूप में सितम्बर, 1981 में इस उद्देश्य से की गयी थी कि प्रदेश के विकास विभागों में कार्यरत विभिन्न स्तरों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर उनकी दक्षता एवं क्षमता में अभिवृद्धि की जा सके और उन्हें नियोजन प्रक्रिया की अद्यतन विकसित तकनीकों एवं अवधारणाओं की जानकारी उपलब्ध करायी जा सके। इसके पूर्व उक्त कार्य मूल्यांकन प्रभाग द्वारा अपने कार्यकलापों के एक अंग के रूप में अपनी सीमित सीमा के अन्तर्गत वर्ष 1972 से सम्पादित किया जा रहा था। इस प्रभाग द्वारा सम्पादित किये जा रहे मुख्य कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :

1—विकास प्रशासन तथा राज्य एवं राष्ट्रीय नियोजन से सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रशिक्षण देना।

2—राज्य नियोजन संस्थान तथा योजना आयोग के नवनियुक्त अधिकारियों के लिए इन्डक्शन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना।

3—राज्य सरकार के विभिन्न विभागों हेतु कन्सलटेन्सी एवं उनकी प्रशिक्षण आवश्यकताओं को निर्धारित करना।

4—वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिये सेमीनार एवं वर्कशाप आयोजित करना।

5—प्रशिक्षण प्रशासन एवं प्रशिक्षण निर्देशन करना।

6. 2—इस प्रभाग के कार्यों का सम्पादन निदेशक के मार्गदर्शन एवं प्रशासनिक नियंत्रण में किया जाता है। इनकी सहायतार्थ संयुक्त निदेशक के 4, उप निदेशक के 5, विशेषज्ञ का एक तथा संख्याधिकारी के 2 पद सृजित हैं इसके अतिरिक्त तकनीकी कार्यों में सहायता हेतु जेष्ठान्वेषक के 2 अराजपत्रित पद भी सृजित हैं।

6. 3—आलोच्य वर्ष में इस प्रभाग द्वारा विकेन्द्रित जिला नियोजन तथा पंचायती राज पर 8, प्रायोजना अभिज्ञान संरचना तथा अप्रंजल पर 4, प्रायोजना कार्यान्वयन अनुश्रवण तथा मूल्यांकन पर 3, प्रायोजना प्रबन्धन पर 6, भूमि उपयोग परिषद् पर 4, नवीन पंचायतीराज व्यवस्था पर 4, शैक्षिक नियोजन तथा प्रबन्धन पर 2, जनशक्ति नियोजन पर 2 तथा कार्यालय प्रबन्धन एवं कार्य अभिप्रेरणा पर एक तथा सामान्य विषयों पर 6 कार्यक्रमों अर्थात् कुल 40 कार्यक्रमों के आयोजन का लक्ष्य रखा गया है। इसके समक्ष माह नवम्बर, 1995 तक प्रभाग द्वारा कुल 23 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा चुका है। वर्ष की शेष अवधि में कुल 11 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन सम्भावित है, जिनमें भारत सरकार द्वारा पुरोनिधारित 6 कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं। वर्ष 1995–96 में आयोजित किये जाने वाले उक्त लक्षित 40 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से 7 प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा पुरोनिधानित हैं।

अध्याय 7

क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग

7.1--राज्य नियोजन संस्थान के अन्तर्गत क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971 में प्रदेश के नियोजित विकास की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने के साथ ही सन्तुलित क्षेत्रीय विकास हेतु नियोजन प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से की गयी थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग द्वारा निम्न प्रकार के कार्य सम्पादित किए जाते हैं :--

1--प्रदेश के नियोजित विकास हेतु बहुस्तरीय नियोजन ढांचा विकसित करना।

2--प्रदेश की अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं से सम्बन्धित नियमित अध्ययन करना।

3--प्रभाग द्वारा प्रदेश के अन्तर्गत अभिज्ञानित पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास हेतु एकीकृत क्षेत्रीय विकास योजनायें तैयार करना।

4--प्रदेश में विकेन्द्रित प्रक्रिया को व्यावहारिकता प्रदान करने हेतु अध्ययन करना।

5--जिला स्तरीय सर्वांगीण विकास योजनाओं की संरचना हेतु शोध विधि विकसित करना एवं मार्ग-निर्देशिका तैयार करना।

6--प्रदेश की पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं की संरचना में योगदान देना।

7--क्षेत्रीय नियोजन विषय पर सेमीनार/कार्यशाला आयोजित करना तथा विभिन्न विकास विभागों को तकनीकी सलाह उपलब्ध कराना।

8--विकास कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन करना।

7.2--यह प्रभाग निदेशक, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में कार्य करता है। इनके सहायतार्थ प्रभाग में संयुक्त निदेशक का एक, वरिष्ठ शोध अधिकारी के 4 तथा शोध अधिकारी के 9 राजपत्रित पद सृजित हैं। साथ ही शोध सहायक के 11, संख्या सहायक के 3 तथा अन्वेषक एवं संगणक के 6 अराजपत्रित पद भी सृजित हैं। उक्त के अतिरिक्त जिला स्तरीय सर्वांगीण विकास योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ शोध अधिकारी एवं शोध अधिकारी के पांच-पांच पद तथा शोध सहायक के 10 पद एवं अनुसचिवीय वर्ग व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिलाकर कुल 19 पद भी स्वीकृत हैं।

7.3--आलोच्य वर्ष 1995-96 में निम्नलिखित कार्य/अध्ययन पूर्ण किये गये :--

1--प्रदेश में अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन-आधार वर्ष 1991।

2--इलाहाबाद शहर में शहरी स्वच्छकार विनुवित एवं पुनर्वास योजना अध्ययन का पुनरीक्षण।

3--प्रदेश में विद्युत, नहर एवं राजकीय नलकूप परिचालन से सम्बन्धित त्वरित अध्ययन।

4--वैरीयेशन्स इन लेवल्स आफ डेवलपमेन्ट एक्रास रीजनल एण्ड डिस्ट्रिक्ट इन प्लेन एरियाज आफ यू0 पी0।

5--उत्तर प्रदेश में जनपदवार विकास की समस्यायें एवं सुझाव विषयक टिप्पणी।

6--कानपुर मण्डल के जनपदों के चयनित अम्बेडकर ग्रामों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों का स्थलीय सत्यापन।

7--गढ़वाल मण्डल के जनपदों के चयनित अम्बेदकर ग्रामों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों का स्थलीय सत्यापन।

8--जनपद मुरादाबाद एवं पडरौना में चयनित ग्रामों में आवास स्थल आवंटन कार्यक्रम का स्थलीय सत्यापन।

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य/अध्ययन प्रगति पर रहे :--

1--पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि विकास में अन्तर्क्षेत्रीय विषमतायें।

2—जनपदवार/सम्भागवार विकास सूचकांकों का विश्लेषण।

3—विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिलेवार परिव्यय के आवंटन का विश्लेषण।

4—प्रदेश का विकास एटलस ।

5—पूर्वांचल विकास निधि का पूर्वी सम्भाग के विकास एवं अन्तर्जनपदीय विकास पर प्रभाव ।

6—बुन्देलखण्ड विकास निधि का बुन्देलखण्ड सम्भाग के विकास एवं अन्तर्जनपदीय विकास पर प्रभाव ।

7—उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड सम्भाग के त्वरित विकास हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम एवं प्राथमिकतायें ।

8—उत्तर प्रदेश में पूर्वी सम्भाग के त्वरित विकास हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम एवं प्राथमिकतायें ।

9—प्रदेश में अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन–आधार वर्ष 1993 ।

10—सर्वांगीण जिला विकास योजना की संरचना–जनपद झांसी ।

11—सर्वांगीण जिला विकास योजना की संरचना–जनपद बलिया ।

12—सर्वांगीण जिला विकास योजना की संरचना–जनपद मुजफ्फरनगर ।

7.4—आलोच्य वर्षान्तर्गत निम्नलिखित प्रकाशन तैयार/मुद्रित कराये गये :—

1—मेरठ शहर में त्वरित स्वच्छता कार्यक्रम का त्वरित अध्ययन ।

2—इलाहाबाद शहर में शहरी स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वास योजना का अध्ययन का पुनरीक्षण ।

3—प्रदेश में विद्युत, नहर एवं राजकीय नलकूप परिचालन से संबंधित त्वरित अध्ययन ।

4—वेरीयेशन्स इन लेवल्स आफ डेवलपमेन्ट एक्रास रीजन्स एण्ड डिस्ट्रिक्ट इन प्लेन एरियाज आफ यू0 पी0 ।

5—पूर्वी उ0 प्र0 में कृषि विकास में अन्तर्क्षेत्रीय विषमतायें ।

6—उ0 प्र0 में जनपदवार विकास की समस्यायें एवं सुझाव विषयक टिप्पणी ।

7—कानपुर मण्डल के जनपदों के चयनित अम्बेदकर ग्रामों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों का स्थलीय सत्यापन ।

8—गढ़वाल मण्डल के जनपदों के चयनित अम्बेदकर ग्रामों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों का स्थलीय सत्यापन ।

9—जनपद मुरादाबाद एवं पडरौना में चयनित ग्रामों में आवास स्थल आवंटन कार्यक्रम का स्थलीय सत्यापन ।

अध्याय 7

क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग

7.1—राज्य नियोजन संस्थान के अन्तर्गत क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971 में प्रदेश के नियोजित विकास की गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने के साथ ही सन्तुलित क्षेत्रीय विकास हेतु नियोजन प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाने के उद्देश्य से की गयी थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग द्वारा निम्न प्रकार के कार्य सम्पादित किए जाते हैं :—

1—प्रदेश के नियोजित विकास हेतु बहुस्तरीय नियोजन ढांचा विकसित करना।

2—प्रदेश की अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं से सम्बन्धित नियमित अध्ययन करना।

3—प्रभाग द्वारा प्रदेश के अन्तर्गत अभिज्ञानित पिछड़े क्षेत्रों के त्वरित विकास हेतु एकीकृत क्षेत्रीय विकास योजनायें तैयार करना।

4—प्रदेश में विकेन्द्रित प्रक्रिया को व्यावहारिकता प्रदान करने हेतु अध्ययन करना।

5—जिला स्तरीय सर्वांगीण विकास योजनाओं की संरचना हेतु शोध विधि विकसित करना एवं मार्ग-निर्देशिका तैयार करना।

6—प्रदेश की पंचवर्षीय एवं वार्षिक योजनाओं की संरचना में योगदान देना।

7—क्षेत्रीय नियोजन विषय पर सेमीनार/कार्यशाला आयोजित करना तथा विभिन्न विकास विभागों को तकनीकी सलाह उपलब्ध कराना।

8—विकास कार्यक्रमों एवं परियोजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन करना।

7.2—यह प्रभाग निदेशक, क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग के तकनीकी मार्गदर्शन में कार्य करता है। इनके सहायतार्थ प्रभाग में संयुक्त निदेशक का एक, वरिष्ठ शोध अधिकारी के 4 तथा शोध अधिकारी के 9 राजपत्रित पद सृजित हैं। साथ ही शोध सहायक के 11, संख्या सहायक के 3 तथा अन्वेषक एवं संगणक के 6 अराजपत्रित पद भी सृजित हैं। उक्त के अतिरिक्त जिला स्तरीय सर्वांगीण विकास योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ शोध अधिकारी एवं शोध अधिकारी के पांच-पांच पद तथा शोध सहायक के 10 पद एवं अनुसचिवीय वर्ग व चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को मिलाकर कुल 19 पद भी स्वीकृत हैं।

7.3—आलोच्य वर्ष 1995-96 में निम्नलिखित कार्य/अध्ययन पूर्ण किये गये :—

1—प्रदेश में अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन-आधार वर्ष 1991।

2—इलाहाबाद शहर में शहरी स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वास योजना अध्ययन का पुनरीक्षण।

3—प्रदेश में विद्युत, वहर एवं राजकीय नलकूप परिचालन से सम्बन्धित त्वरित अध्ययन।

4—वैरीयेशन्स इन लेवल्स आफ डेवलपमेन्ट एकास रीजनल एण्ड डिस्ट्रिक्ट इन प्लेन एरियाज आफ यू0 पी0।

5—उत्तर प्रदेश में जनपदवार विकास की समस्यायें एवं सुझाव विषयक टिप्पणी।

6—कानपुर मण्डल के जनपदों के चयनित अम्बेदकर ग्रामों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों का स्थलीय सत्यापन।

7—गढ़वाल मण्डल के जनपदों के चयनित अम्बेदकर ग्रामों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों का स्थलीय सत्यापन।

8—जनपद मुरादाबाद एवं पडरौना में चयनित ग्रामों में आवास स्थल आवंटन कार्यक्रम का स्थलीय सत्यापन।

उक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य/अध्ययन प्रगति पर रहे :—

1—पूर्वी उत्तर प्रदेश में कृषि विकास में अन्तर्क्षेत्रीय विषमतायें।

2—जनपदवार/सम्भागवार विकास सूचकांकों का विश्लेषण।

3—विकेन्द्रित नियोजन प्रणाली के अन्तर्गत जिलेवार परिव्यय के आबंटन का विश्लेषण।

4—प्रदेश का विकास एटलस ।

5—पूर्वांचल विकास निधि का पूर्वी सम्भाग के विकास एवं अन्तर्जनपदीय विकास पर प्रभाव ।

6—बुन्देलखण्ड विकास निधि का बुन्देलखण्ड सम्भाग के विकास एवं अन्तर्जनपदीय विकास पर प्रभाव ।

7—उत्तर प्रदेश में बुन्देलखण्ड सम्भाग के त्वरित विकास हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम एवं प्राथमिकतायें ।

8—उत्तर प्रदेश में पूर्वी सम्भाग के त्वरित विकास हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम एवं प्राथमिकतायें ।

9—प्रदेश में अन्तर्क्षेत्रीय विषमताओं का अध्ययन—आधार वर्ष 1993 ।

10—सर्वांगीण जिला विकास योजना की संरचना—जनपद झांसी ।

11—सर्वांगीण जिला विकास योजना की संरचना—जनपद बलिया ।

12—सर्वांगीण जिला विकास योजना की संरचना—जनपद मुजफ्फरनगर ।

7.4—आलोच्य वर्षान्तर्गत निम्नलिखित प्रकाशन तैयार/मुद्रित कराये गये :—

1—मेरठ शहर में त्वरित स्वच्छता कार्यक्रम का त्वरित अध्ययन ।

2—इलाहाबाद शहर में शहरी स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वास योजना का अध्ययन का पुनरीक्षण ।

3—प्रदेश में विद्युत, नहर एवं राजकीय नलकूप परिचालन से संबंधित त्वरित अध्ययन ।

4—वेरीयेशन्स इन लेवल्स आफ डेवलपमेन्ट एक्रास रीजन्स एण्ड डिस्ट्रिक्ट इन प्लेन एरियाज आफ यू0 पी0 ।

5—पूर्वी उ0 प्र0 में कृषि विकास में अन्तर्क्षेत्रीय विषमतायें ।

6—उ0 प्र0 में जनपदवार विकास की समस्यायें एवं सुझाव विषयक टिप्पणी ।

7—कानपुर मण्डल के जनपदों के चयनित अम्बेदकर ग्रामों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों का स्थलीय सत्यापन ।

8—गढ़वाल मण्डल के जनपदों के चयनित अम्बेदकर ग्रामों में चलाये जा रहे कार्यक्रमों का स्थलीय सत्यापन ।

9—जनपद मुरादाबाद एवं पडरौना से चयनित ग्रामों में आवास स्थल आबंटन कार्यक्रम का स्थलीय सत्यापन ।

अध्याय 8

दीर्घकालीन योजना प्रभाग

8.1—इस प्रभाग द्वारा मुख्यतः राज्य की अर्थ व्यवस्था के समग्र विकास के सन्दर्भ में दीर्घकालीन योजनायें इस उद्देश्य से तैयार की जाती हैं ताकि उनकी पृष्ठभूमि में लघु अवधीय विकास की प्राथमिकतायें तथा उसका स्वरूप निर्धारित किया जा सके। राष्ट्रीय विकास परिदृश्य से तालमेल रखते हुए प्रभाग द्वारा प्रदेश की क्षेत्रकीय एवं समग्र अर्थ व्यवस्था हेतु अपेक्षित वृद्धिदर, आवश्यक विनियोग एवं योजना परिव्यय, सम्भावित रोजगार सृजन एवं गरीबी उन्मूलन आदि के अनुमान तैयार किये जाते हैं। अपने उद्देश्यों एवं अपेक्षाओं की पूर्ति हेतु यह प्रभाग समग्र अर्थव्यवस्था एवं उसके विभिन्न क्षेत्रकों के प्रमुख वैरिएबुल्स (उत्पादन, उपभोग, विनियोग, बचत आदि) का संरचना तथा कतिपय विशिष्ट पैरामीटर्स/पहलुओं (श्रम उत्पादन अनुपात, पूंजी उत्पादन अनुपात, विकास रणनीति आदि) सम्बन्धी बहुआयामी अध्ययनों का सतत सम्पादन करता है।

8.2—इस प्रभाग के कार्यों का सम्पादन निदेशक के मार्गदर्शन में किया जाता है। निदेशक की सहायता हेतु संयुक्त निदेशक के 2, वरिष्ठ शोध अधिकारी के 4, शोध अधिकारी के 8 तथा प्रोग्रामर का एक राजपत्रित पद सृजित हैं। इसके अतिरिक्त शोध सहायक के 10, संख्या सहायक के 8, अन्वेषक-कम-कम्प्यूटर के 8 तथा पंचवेरी-फायर आपरेटर का एक अराजपत्रित तकनीकी पद सृजित हैं। इसके साथ ही अनुसचिवीय सम्वर्ग में वरिष्ठ सहायक, आशुलिपिक, कनिष्ठ सहायक (टंकक) एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों को सम्मिलित करते हुए कुल 33 पद भी सृजित है।

8.3—आलोच्य वर्ष 1995-96 में प्रभाग द्वारा (नवम्बर, 1995 तक) सम्पादित किये गये कार्यों/अध्ययनों का विवरण निम्नानुसार है :—

(1) दीर्घकालीन योजना की संरचना हेतु आंकड़ों की नियमित श्रृंखला का संगणन-कृषि।
(2) प्रमुख कृषि उत्पादों हेतु मांग प्रक्षेपण।
(3) उ0 प्र0 में पीतल उद्योग की समस्यायें एवं सम्भावनायें (मुरादाबाद जनपद)।
(4) प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र (इलाहाबाद जनपद) में उपभोग व्यय में परिवर्तन का एक विवेचन।
(5) प्रदेश में गरीबी की समस्या एवं उसके आकार तथा प्रवृत्ति का अध्ययन।
(6) प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारों एवं स्वः रोजगार हेतु उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं की उपयुक्तता।
(7) वार्षिक योजना 1995-96 का हिन्दी संस्करण तैयार किया जाना।
(8) उ0 प्र0 में वाणिज्यिक बैंकों की ऋण-जमा अनुपात विषयक विश्लेषण।
(9) कृषि एवं सम्बर्गीय सेक्टर की रणनीति तैयार करने से सम्बन्धित अध्ययन।
(10) प्रदेश में रोजगारी एवं बेरोजगारी की स्थिति।

8.4—वर्षान्त तक प्रभाग द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले सम्भावित कार्यों/अध्ययनों का विवरण निम्नवत् है:—

(1) प्रदेश में कृषि एवं औद्योगिक उत्पादन का स्वरूप तथा इसका राज्य की अर्थ व्यवस्था पर प्रभाव।
(2) जनसंख्या वृद्धि एवं शिक्षा का विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं पर निर्भरता का परिमाणन।
(3) दीर्घकालीन योजना की संरचना से सम्बन्धित आंकड़ों की नियमित श्रृंखला का संगणन—
खण्ड (1) विद्युत
खण्ड (2) उद्योग
(4) पैटर्न आफ गवर्नमेन्ट एक्सपेन्डीचर इन यू0 पी0।
(5) लघु उद्योग इकाइयों की स्थापना सम्बन्धी स्थलीय सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन।
(6) खादी ग्रामोद्योग इकाइयों की स्थापना सम्बन्धी स्थलीय सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन।
(7) हथकरघा इकाइयों की स्थापना सम्बन्धी स्थलीय सर्वेक्षण एवं मूल्यांकन।
(8) उ0 प्र0 वित्तीय निगम द्वारा की जा रही लीजिंग (ऋण) का स्वरोजगार तथा प्रदेश के औद्योगीकरण पर प्रभाव।

(9) नवीं योजना संरचना से सम्बन्धित अध्ययन ।

(10) कृषि मजदूरों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के सन्दर्भ में भौतिक सत्यापन (सीतापुर जनपद) पर आधारित अध्ययन ।

(11) खादी एवं ग्रामीण उद्योगों का प्रदेश की अर्थव्यवस्था में आय एवं रोजगार सृजन पर प्रभाव ।

(12) शिक्षित व्यक्तियों की मांग एवं पूर्ति तथा उनकी शिक्षण सुविधाओं की उपयुक्तता ।

(13) बुन्देलखण्ड क्षेत्र के विकास की दीर्घकालीन योजना ।

(14) हरियाणा प्रदेश की विरोधाभास प्रक्रिया एवं महत्वपूर्ण कार्य-क्रमों का अध्ययन ।

8.5—आलोच्य वर्ष में निम्नलिखित प्रकाशन मुद्रित कराये गये :—

(1) दीर्घकालीन योजना की संरचना हेतु आंकड़ों की नियमित श्रृंखला का संगणन–कृषि ।

(2) प्रमुख कृषि उत्पादों हेतु मांग प्रक्षेपण ।

(3) उ0 प्र0 में पीतल उद्योग की समस्यायें एवं सम्भावनायें (मुरादाबाद जनपद) ।

(4) प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र (इलाहाबाद जनपद) में उपभोग व्यय में परिवर्तन का एक विवेचन ।

(5) प्रदेश में गरीबी की समस्या एवं उसके आकार तथा प्रवृत्ति का अध्ययन ।

(6) प्रदेश में शिक्षित बेरोजगारी एवं स्वतः रोजगार हेतु उपलब्ध प्रशिक्षण सुविधाओं की उपयुक्तता ।

(7) वार्षिक योजना 1995–96 (हिन्दी संस्करण) ।

(8) उ0 प्र0 में वाणिज्यिक बैंकों की ऋण–जमा अनुपात विषयक विश्लेषण ।

(9) कृषि एवं सम्वर्गीय सेक्टर की रणनीति तैयार करने से सम्बन्धित अध्ययन ।

(10) प्रदेश में रोजगार बेरोजगारी की स्थिति ।

अध्याय 9

जनशक्ति नियोजन प्रभाग

9.1—इस प्रभाग की स्थापना वर्ष 1971 में इस उद्देश्य से की गयी थी कि जनशक्ति एवं रोजगार नियोजन सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं के विश्लेषण तथा रोजगार हेतु उपयुक्त एवं सम्यक् रणनीति निर्धारित करने में आवश्यक सहायता मिल सके। उक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रभाग द्वारा प्रदेश में कार्यान्वित विभिन्न योजना कार्यक्रमों के अन्तर्गत सृजित रोजगार एवं स्वरोजगार का आंकलन तथा विभिन्न विकास योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु तकनीकी एवं व्यावसायिक कार्मिकों की उपलब्धता तथा मांग एवं पूर्ति सम्बन्धी अध्ययन भी किया जाता है। इसके साथ ही विभिन्न क्षेत्रकों (सेक्टर्स) में कर्मकरों की संरचना में हो रहे परिवर्तनों का विश्लेषण करने, विभिन्न विकास योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु श्रेणीवार आवश्यकताओं एवं उपलब्धता को अनुमानित करने, बेरोजगारी दूर करने हेतु उपयुक्त सुझाव देने तथा शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थाओं में अपेक्षित सुधार लाकर उन्हें अधिक सदुपयोगी बनाने सम्बन्धी अध्ययन भी इसी प्रभाग द्वारा किये जाते हैं।

9.2—उक्त कार्यों के सम्पादन हेतु प्रभाग में निदेशक के दो (एक पद वरिष्ठ आई0 ए0 एस0/पी0 सी0 एस0 सम्वर्ग तथा एक तकनीकी पद), संयुक्त निदेशक के दो, वरिष्ठ शोध अधिकारी के तीन तथा शोध अधिकारी के छः राजपत्रित पद सृजित हैं। अध्ययन कार्यों में उक्त अधिकारियों की सहायता के लिये शोध सहायक के आठ, संख्या सहायक के दो तथा अन्वेषक कम-कम्प्यूटर के चार पदों के अतिरिक्त अनुसचिवीय एवं चतुर्थ श्रेणी के ग्यारह पद भी सृजित हैं।

9.3—आलोच्य वर्ष 1995-96 में (30 नवम्बर, 1995 तक) प्रभाग द्वारा सम्पादित किये गये अध्ययनों का विवरण निम्नवत् है :—

(1) लेबर आउटपुट रेशियोज इन एग्रीकल्चर सेक्टर।
(2) प्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र में कर्मकरों की संरचना में हो रहे परिवर्तन।
(3) वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर कर्मकारों की संरचना का विश्लेषण।
(4) मृदा परीक्षण एवं क्राप कटिंग कार्यक्रमों का त्वरित मूल्यांकन।
(5) जनपद मेरठ में ग्रामीण आवास स्थलों के आवंटन का सत्यापन।

9.4—वर्षान्त तक सम्पादित किये जाने वाले सम्भावित कार्यों/अध्ययनों का विवरण निम्नानुसार है :—

(1) विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे मुख्य रोजगार कार्यक्रमों का समीक्षात्मक विवेचन।
(2) नवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार एवं बेरोजगारी की स्थिति।
(3) नवीं पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या की स्थिति।
(4) नवीं योजनाकाल में मेडिकल, पैरामेडिकल, शिक्षकों तथा कृषि कार्मिकों की मांग एवं पूर्ति।
(5) वार्षिक योजना (1996-97) में विभिन्न विभागों में योजनागत कार्यक्रमों द्वारा रोजगार सृजन।
(6) वार्षिक योजना (1996-97) के डाकूमेन्ट हेतु रोजगार विषयक अध्याय।

9.5—आलोच्य वर्षान्तर्गत प्रभाग द्वारा प्रकाशित/प्रकाशित किये जाने वाले प्रकाशनों का विवरण निम्नवत् है :—

(1) वार्षिक योजना (1996-97) में विभिन्न विभागों के योजनागत कार्यक्रमों द्वारा रोजगार सृजन।
(2) वार्षिक योजना (1996-97) के डाकूमेन्ट हेतु रोजगार विषयक अध्याय।
(3) लेबर आउटपुट रेशियोज इन एग्रीकल्चर सेक्टर।
(4) प्रदेश में विनिर्माण क्षेत्र में कर्मकरों की संरचना में हो रहे परिवर्तन।
(5) वर्ष 1991 की जनगणना के आधार पर कर्मकरों की संरचना का विश्लेषण।
(6) मृदा परीक्षण एवं क्राप कटिंग कार्यक्रमों का त्वरित मूल्यांकन।
(7) जनपद मेरठ में ग्रामीण आवास स्थलों के आवंटनों का सत्यापन।

अध्याय 10

योजना अनुश्रवण एवं मूल्य प्रबन्धन प्रभाग

10.1—इस प्रभाग की स्थापना का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के विभिन्न विकास विभागों एवं निगमों की निर्माणाधीन चयनित वृहद परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति का अनुश्रवण कर के उसमें आने वाले सभी अवरोधों के निवारणार्थ उपयुक्त सुझाव देना और उन्हें "कास्ट ओवर रन" तथा "टाइम ओवर रन" को नियंत्रित करने हेतु सुझावात्मक एवं विश्लेषणात्मक रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराना है। इस उद्देश्य से सिंचाई, विद्युत, लोक निर्माण, उद्योग, शिक्षा, आवास, वैकल्पिक ऊर्जा, नगर विकास, पंचायतीराज तथा कृषि विभाग एवं सार्वजनिक निगमों द्वारा कार्यान्वित की जा रही कुछ वृहद चयनित परियोजनाओं/योजनाओं का अनुश्रवण करने के साथ ही भवन, सड़क एवं सेतु परियोजनाओं के निर्माण लागत सूचकांक तैयार करने सम्बन्धी कार्य भी इस प्रभाग द्वारा सम्पादित किये जाते हैं। इसके साथ ही प्रदेश के विभिन्न विभागों/निगमों द्वारा निर्माणाधीन भवनों/सड़कों के आगणन का परीक्षण कर उसका पुनर्निर्धारण करने सम्बन्धी कार्य भी इस प्रभाग द्वारा सम्पादित किया जाता है।

10.2—यह प्रभाग निदेशक के तकनीकी मार्गदर्शन में कार्य करता है। इनको सहायता के लिये संयुक्त निदेशक का एक, वरिष्ठ शोध अधिकारी (अभि0) के पांच, शोध अधिकारी (अभि0) के नौ तथा प्रोग्रामर का एक पद सृजित है। उक्त के अतिरिक्त प्रभाग के कार्यों के सम्पादनार्थ शोध सहायक (अभि0) के 3, संख्या सहायक के 5, तकनीकी सहायक के 2, सीनियर आर्टिस्ट-कम-विजुलाइजर का एक, नक्शा नवीस का एक तथा ड्राफ्टमैन के 2 पद भी सृजित हैं।

10.3—आलोच्य वर्ष (1995-96) में इस प्रभाग द्वारा सम्पादित किये गये कार्यों/अध्ययन प्रतिवेदनों का विवरण निम्नवत् है :—

(1) मासिक अनुश्रवण प्रतिवेदन—

1.1—संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्रीय विकास का कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण।

1.2—प्रदेश की वार्षिक योजना का अनुश्रवण।

1.3—ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम।

1.4—ग्रामीण पेयजल योजना।

1.5—अम्बेदकर ऊसर सुधार योजना।

1.6—एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम।

(2) त्रैमासिक अनुश्रवण प्रतिवेदन—

2.1—उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम की निर्माण परियोजनायें।

2.2—उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की परियोजनायें।

2.3—दुग्ध विकास परियोजनायें।

2.4—सड़क निर्माण परियोजनायें (मैदानी क्षेत्र)।

2.5—सड़क निर्माण परियोजनायें (पर्वतीय क्षेत्र)।

2.6—उत्तर प्रदेश नगर विकास परियोजनायें।

2.7—वृहद् एवं मध्यम सिंचाई परियोजनायें।

2.8—सभी के लिये शिक्षा कार्यक्रम (विश्वबैंक पोषित)।

2.9—प्राविधिक शिक्षा का सुदृढ़ीकरण।

2.10—सोडिक लैण्ड रिक्लेमेशन परियोजना।

2.11—तापीय विद्युत् परियोजनायें।

2.12—निर्माणाधीन विद्युत् उपकेन्द्र।

2.13—निर्माणाधीन पारेषण लाइनें।

2.14—स्टेट रोड प्रोजेक्ट।

2.15—प्राइमरी स्कूल भवन (सामान्य कार्यक्रम)।

2.16—प्राइमरी स्कूल भवन (जवाहर रोजगार योजना) ।

2.17—उत्तर प्रदेश राजकीय नलकूप ।

(3) त्रैमासिक इन्वेन्ट्री कन्ट्रोल (सामग्री)—

3.1—उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् ।

3.2—उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम ।

3.3—उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग ।

(4) मूल्य सूचकांक (वार्षिक)—

4.1—भवन निर्माण मूल्य सूचकांक ।

4.2—सड़क निर्माण मूल्य सूचकांक ।

4.3—सेतु निर्माण मूल्य सूचकांक ।

(5) अध्ययन—

5.1—ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन ।

5.2—अनुसूचित जाति/जनजाति छात्रों का दशम् पूर्व मूल्यांकन अध्ययन ।

5.3—सेतु निगम में भारी मशीनों के उपयोग सम्बन्धी अध्ययन ।

5.4—सिंचाई विभाग में भारी मशीनों के उपयोग सम्बन्धी अध्ययन ।

(6) सेमिनार—

6.1—स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत अनुसूचित जाति के आर्थिक कल्याण हेतु संचालित कार्यक्रमों की प्रमुख समस्यायें एवं भविष्य का स्वरूप ।

(7) विविध कार्य—

उक्त कार्यों के अतिरिक्त विभिन्न विभागों/निगमों के निर्माणाधीन भवनों एवं मार्गों के आतपनों का परीक्षण कर उसका पुनर्निर्धारण भी किया गया ।

(8) प्रभाग द्वारा निम्न अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित/मुद्रित कराये गये :—

(1) स्वतः रोजगार योजना

(2) निजी भूमि पर दूकान निर्माण योजना

(3) स्वच्छकार विमुक्ति एवं पुनर्वासन योजना

(4) सिंचाई विभाग में हैवी अर्थ मूविंग मशीन उपयोग का अध्ययन (वर्ष 1990)

अध्याय 11

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग

11.1—इस प्रभाग की स्थापना वर्ष 1973-74 में मुख्यतः प्रदेश की विभिन्न विकास प्रायोजनाओं हेतु पूंजी विनियोग के प्रस्तावों को वित्तीय साध्यता, तकनीकी सम्भाव्यता तथा आर्थिक एवं सामाजिक लाभप्रदता के मूल्यांकन करने के उद्देश्य से की गयी थी ताकि राज्य सरकार द्वारा आर्थिक एवं सामाजिक दृष्टिकोण से सुदृढ़ प्रायोजनाओं को रचना एवं कार्यान्वयन में ही पूंजी विनियोग सुनिश्चित किया जा सके। यह प्रभाग शासन द्वारा गठित पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड व उसकी स्थायी समिति, व्यय वित्त समिति तथा नोडल समिति के सचिवालय के रूप में भी कार्य करता है। प्रभाग द्वारा मूल्यांकित प्रायोजनाओं पर यथा स्थिति उक्त बोर्ड/समितियों द्वारा विचार किया जाता है। शासन द्वारा गठित पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड व उसकी स्थायी समिति व अन्य समितियों के उद्देश्य, संगठन तथा कार्य-क्षेत्र के विवरण का उल्लेख परिशिष्ट-2 में किया गया है।

11.2—उक्त बोर्ड/समितियों से सम्बन्धित कार्यों के अतिरिक्त इस प्रभाग द्वारा निम्न कार्य भी सम्पादित किये जाते हैं :—

(1) विभिन्न विभागों की "शेल्फ आफ प्रोजेक्ट-एप्रोच" अपनाये जाने में सहायता व मार्गदर्शन करना।

(2) विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन की संरचना हेतु विभिन्न विकास विभागों के लिये मार्ग निर्देशिकायें तैयार करना।

(3) राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर सौंपे गये विभिन्न प्रस्तावों/विषयों का अध्ययन करना।

(4) प्रायोजना प्रतिवेदन (टी0ई0एफ0आर0) की संरचना व उसके मूल्यांकन (अप्रेजल) प्रक्रिया विषयक सेमिनार/वर्कशाप आयोजित करना।

11.3—इस प्रभाग के तकनीकी कार्यों का सम्पादन निदेशक के मार्गदर्शन में किया जाता है। जिनकी सहायतार्थ आर्थिक नियोजन सलाहकार का एक, विशेषज्ञ के 3, संयुक्त निदेशक का एक, वरिष्ठ शोध अधिकारी के 4, तथा शोध अधिकारी के 8 राजपत्रित पद सृजित हैं। इसके अतिरिक्त शोध सहायक से 8 तथा अन्वेषक एवं संगणक के 5 अराजपत्रित पद भी सृजित हैं।

11.4—आलोच्य वर्ष (1995-96) में नवम्बर, 1995 तक इस प्रभाग द्वारा सम्पादित कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :—

(क) पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड व उसकी स्थायी समिति के विचारार्थ मूल्यांकित प्रायोजनायें :

(1) मथुरा (कौसी कलां) में इडिबिल कैसीन, व्हे प्रोटीन, लैक्टोज तथा घी के उत्पादन हेतु संयुक्त क्षेत्र में एक कम्पनी की स्थापना से सम्बन्धित प्रायोजना।

(2) उत्तर प्रदेश तराई बीज एवं विकास निगम की एक सहायक कम्पनी की स्थापना से सम्बन्धित प्रायोजना।

(3) खड्डा चीनी मिल (देवरिया) के आधुनिकीकरण तथा क्षमता विस्तार (1250 से 2500 टी0 सी0 डी0) से सम्बधित प्रायोजना।

(4) सकौती टांडा चीनी मिल (मेरठ) के क्षमता विस्तार (1500 से 2500 टी0सी0डी0) से सम्बन्धित प्रायोजना।

(5) बुलन्दशहर चीनी मिल के क्षमता विस्तार (1524 से 2500 टी0सी0डी0) से सम्बन्धित प्रायोजना (पुनरीक्षित प्रायोजना लागत)

(6) किसान सहकारी चीनी मिल शेखूपुर (बदायूं) के आधुनिकीकरण तथा क्षमता विस्तार (1250 से 2500 टी0सी0डी0) से सम्बन्धित प्रायोजना।

(7) किसान सहकारी मिल, सम्पूर्णानगर (खीरी) के आधुनिकीकरण तथा क्षमता विस्तार (2500 से 5000 टी0सी0डी0) से सम्बंधित प्रायोजना।

(8) जनपद ललितपुर में राक फास्फेट के खनन एवं उच्चीकृत अभिशोधन (माइनिंग एवं बेनीफिसियेशन) हेतु सहायतित क्षेत्र में प्रायोजना।

(9) नोएडा, जनपद गाजियाबाद में अधिसूचित क्षेत्र में मोजा उत्पादन की प्रायोजना ।

(10) जनपद सहारनपुर में उत्तर प्रदेश पोल्ट्री एवं लाइवस्टाक स्पेशलिटीज लि० तथा मेसर्स कपोन फूड स्पेशलिटीज लि० के संयुक्त सहयोग से इन्टीग्रेटेड पोल्ट्री काम्पलेक्स की स्थापना से सम्बन्धित प्रायोजना ।

(11) किसान सहकारी चीनी मिल, नवेही के आधुनिकीकरण तथा वर्तमान पिराई क्षमता 2000 से 5000 टी०सी०डी० तक विस्तारीकरण की प्रायोजना ।

(12) किसान सहकारी चीनी मिल स्नेह रोड, नजीबाबाद (जनपद बिजनौर) की गन्ना पिराई क्षमता (2500 टी०सी०डी०) में 20 प्रतिशत की वृद्धि से सम्बन्धित प्रायोजना ।

(13) किसान सहकारी चीनी मिल, धुरिया पार (गोरखपुर) (अधिष्ठापित क्षमता 2500 टी०सी०डी०) की पुनरीक्षित प्रायोजना ।

(14) चरन देव लघु जल विद्युत् प्रायोजना, पिथौरागढ़ (400 कि०वा०) (पुनरीक्षित लागत ।)

(15) तालेश्वर लघु जल विद्युत प्रायोजना, पिथौरागढ़ (600 कि०वा०) (पुनरीक्षित लागत) ।

(16) गरांव लघु जल विद्युत् प्रायोजना, पिथौरागढ़ (300 कि०वा०) (पुनरीक्षित लागत)

(ख) व्यय वित्त समिति के विचारार्थ मूल्यांकित प्रायोजनायें :

(1) जनपद मऊ में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय भवन के निर्माण से सम्बन्धित प्रायोजना (पुनरीक्षित लागत अनुमान) ।

(2) जनपद मऊ के समेकित स्थल विकास से सम्बन्धित प्रायोजना ।

(3) राजकीय पालीटेक्निक, गोचर (चमोली) के अनावासीय भवनों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव ।

(4) नैनीताल में काशीपुर बाई पास मार्ग के सुदृढ़ीकरण तथा चौड़ीकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव ।

(5) पौड़ी-गढ़वाल में आई०टी०आई०, पोखरा के भवनों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव ।

(6) देहरादून में आई०टी०आई०, डोईवाला के भवनों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव ।

(7) पिथौरागढ़ में नाचनी बन्स बागड़ मोटर मार्ग का निर्माण (कि०मी० 0—10) ।

(8) पौड़ी गढ़वाल में कन्डसरा-दारी हल्का वाहन मार्ग (एक पुल सहित) के निर्माण का प्रस्ताव ।

(9) टेहरी गढ़वाल में लम्ब गांव-प्रतापनगर मोटर मार्ग (कि० मी० 1—21) के निर्माण का प्रस्ताव ।

(10) कानपुर देहात के अनावासीय भवनों के निर्माण का प्रस्ताव ।

(11) उत्तरकाशी में सिलक्यारा-बनगांव-चापड़ा-उरोल मोटर मार्ग के सुधार से सम्बन्धित प्रस्ताव ।

(12) टेहरीगढ़वाल में नाई-भिन्डाथ-कोडिया हल्का वाहन मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव ।

(13) देहरादून में मन्सूरी बाई पास मार्ग के पुनर्निर्माण तथा चौड़ीकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव ।

(14) जनपद फैजाबाद की तहसील मिल्कीपुर के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण से सम्बन्धित प्रस्ताव ।

(15) उत्तरकाशी में बनचौरा-बनगांव मोटर मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव ।

(16) जनपद इटावा में अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों हेतु फारेस्ट विश्राम गृह के निर्माण का प्रस्ताव ।

(17) जनपद इटावा की तहसील सैफई में हवाई पट्टी के निर्माण का प्रस्ताव ।

(18) कसिया (जनपद पडरौना) में हवाई पट्टी के निर्माण का प्रस्ताव ।

(19) सिरौली गौसपुर (जनपद बाराबंकी) में अग्नि शमन केन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव ।

(20) सैफई (जनपद इटावा) में अग्निशमन केन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव ।

(21) पी० ए० सी० की 46वीं व 47वीं वाहिनी को स्पेशल फोर्स हेतु आवासों के निर्माण का प्रस्ताव ।

(22) पुलिस के उच्चाधिकारियों हेतु श्रेणी-5 व श्रेणी-6 के आवासों के निर्माण का प्रस्ताव ।

(23) हेमवतीनन्दन बहुगुणा डिग्री कालेज, नैनी (इलाहाबाद) के भवनों के निर्माण का प्रस्ताव ।

(24) विश्व बैंक प्रायोजनान्तर्गत राजकीय पालीटेक्निक, बिजनौर के भवन के निर्माण का प्रस्ताव ।

(25) बरेली-बागेश्वर मोटर मार्ग (कि० मी० 177-191) के आधुनिकीकरण तथा लोअर रोड बाई पास के निर्माण का प्रस्ताव ।

(26) कैन्टोनमेन्ट बोर्ड, रानीखेत, जलापूर्ति प्रायोजना ।

(27) टेहरीगढ़वाल में 5000 लीटर प्रतिदिन क्षमता की डेरी की स्थापना का प्रस्ताव ।

(28) पुलिस आवास निधि पर वर्ष 1993–94 में प्राप्त ब्याज से श्रेणी–1 के आवासों के निर्माण का प्रस्ताव ।

(29) पुलिस आवास निधि पर वर्ष 1993–94 में प्राप्त ब्याज से श्रेणी–1 के आवासों के निर्माण का प्रस्ताव ।

(30) संजय गांधी पोस्टग्रेजुएट इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइन्सेज, लखनऊ में अग्निशमन के निर्माण का प्रस्ताव ।

(31) अतरौली (अलीगढ़) में अग्निशमन के निर्माण का प्रस्ताव ।

(32) सिद्धार्थनगर में 27 कोर्ट रूम में से प्रथम चरण में 11 कोर्ट रूम के निर्माण का प्रस्ताव ।

(33) पश्चिमी गन्डक कैनाल (गोरखपुर) का निर्माण (पुनरीक्षित लागत अनुमान) ।

(34) जनपद पीलीभीत की तहसील बीसलपुर के अनावासीय भवनों के निर्माण का प्रस्ताव ।

(35) नवसृजित जनपद हरिद्वार के आवासीय भवनों के निर्माण का प्रस्ताव ।

(36) पिथौरागढ़ में बेरीनाग–पुरानाथल मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण व सुधार (कि0 मी0 9–25) का प्रस्ताव ।

(37) उत्तरकाशी में पुरोला–खलाड़ा–घलोडो मोटर मार्ग (कि0 मी0 15) का निर्माण (पुनरीक्षित लागत अनुमान) ।

(38) गोमतीनगर में स्टेट लेवल स्पोर्टस प्रशिक्षण केन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव ।

(39) पौड़ी–श्रीनगर जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार (तृतीय पुनर्गठन का प्रथम चरण) ।

(40) पौड़ी गढ़वाल में दुगड्डा–रधुदाघव मोटर मार्ग (कि0 मी0 1–27) का पुनर्निर्माण व सुधार ।

(41) ज्योलिजाकल गार्डन, लखनऊ के विभिन्न विकास कार्य ।

(42) सिद्धार्थनगर में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालय भवन का निर्माण ।

(43) मेरठ में 50 कोर्ट रूम के निर्माण का प्रस्ताव ।

(44) लखनऊ में 36 कोर्ट रूम के निर्माण का प्रस्ताव ।

(45) रुद्र प्रयाग (चमोली) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव ।

(46) पुरोला (उत्तरकाशी) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव ।

(47) काटद्वार नगर जलापूर्ति प्रायोजना (दो नलकूप व एक ओवर हेड टैंक) ।

(48) हिल कैम्पस (रानी चौरा) में पोस्ट ग्रेजुएट कालेज भवन के निर्माण का प्रस्ताव ।

(49) पौड़ी में कोडिया–किमसार मोटर मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव ।

(50) उत्तरकाशी के सिनयाली सोड़ में हवाई पट्टी के निर्माण का प्रस्ताव ।

(51) अयोध्या में रामजन्म भूमि/बाबरी मस्जिद में अग्निशमन केन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव ।

(52) अल्मोड़ा जलापूर्ति प्रायोजना (सोर्स आगमेन्टेशन) (प्रथम चरण) (पुनरीक्षित लागत अनुमान) ।

(53) फाफामऊ (इलाहाबाद) में रेलवे क्रासिंग नं0–73, ए0 टी0–3 में रेलवे पुल व अप्रोच मार्ग के निर्माण का प्रस्ताव ।

(54) जनपद गोण्डा की तहसील मनकापुर के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण का प्रस्ताव ।

(55) जनपद लखनऊ में अस्वच्छ पेशे में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिये आश्रम पद्धति पर एक आवासीय राजकीय विद्यालय के निर्माण का प्रस्ताव ।

(56) जनपद लखनऊ में गोमतीनगर में छत्रपति श्री शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (भागीदारी भवन) की स्थापना का प्रस्ताव ।

(57) जनपद झांसी में निर्माणाधीन राजकीय संग्रहालय का पुनः पुनरीक्षित आगणन/प्रस्ताव ।

(58) नवसृजित जनपद हरिद्वार के मुख्यालय के समेकित वाह्य स्थल विकास में निहित विद्युत कार्यों से सम्बन्धित प्रस्ताव ।

(59) इन्दिरानगर (विस्तार) सेक्टर–21, लखनऊ में श्रेणी–2 के चार मंजिले 56 आवासों का निर्माण ।

(60) नैनीताल में टिहरी–मुरादाबाद राजमार्ग के कि0 मी0 343 पर ढेला नदी पर सेतु के पुनर्निर्माण के प्रस्ताव का पुनरीक्षित प्रस्ताव/आगणन ।

(61) जनपद टिहरी गढ़वाल में लम्बगांव बिजपुर रावतगांव पानियाला (कि0 मी0 1–15) हल्के वाहन मार्ग के निर्माण का पुनरीक्षित आगणन ।

(62) जनपद नैनीताल में खटीमा से किच्छा पुल भट्टे तक सड़क को खटीमा की ओर से मार्ग के दोनों किनारों को चौड़ा करना तथा बी0 एम0, एस0 डी0 सी0 से सुदृढ़ीकरण के कार्य की पुनरीक्षित प्रायोजना ।

(63) मेरठ की नवसृजित तहसील बड़ौत के अनावासीय भवनों के निर्माण का प्रारम्भिक आगणन/प्रस्ताव ।

(64) उत्तर प्रदेश सरकार के लिये कम्प्यूटर कम्यूनिकेशन नेट वर्किंग योजना (प्रथम चरण) की स्थापना का प्रस्ताव ।

(65) गाजियाबाद में जिला कारागार भवन का निर्माण (पुनरीक्षित आगणन) ।

(66) मऊ के जिला कारागार भवन का निर्माण (पुनरीक्षित लागत) ।

(67) पौड़ी में देवप्रयाग पर गंगा नदी पर प्रिस्टस्ड पुल का निर्माण ।

(घ) नोडल समिति के विचारार्थ मूल्यांकित प्रायोजनायें :

(1) प्रदेश के असुरक्षित/क्षतिग्रस्त ऊंचे बांधों के सुदृढ़ीकरण एवं मरम्मत हेतु विश्व बैंक से वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित डैम सेफ्टी एश्युरेन्स एण्ड रिहैबिलिटेशन प्रायोजना ।

(2) पूर्वी उत्तर प्रदेश के 20 जनपदों में पर्यावरण सुधार (ड्रेनेज स्कीम) से सम्बन्धित प्रायोजना ।

(3) नहर प्रायोजनाओं हेतु प्रदेश में टेली कम्यूनिकेशन एण्ड डाटा कम्यूनिकेशन नेटवर्क की स्थापना से सम्बन्धित प्रायोजना ।

(4) संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ में चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं के उच्चीकरण से सम्बन्धित प्रायोजना ।

(5) उत्तर प्रदेश में बस टर्मिनल अथार्टी की स्थापना से सम्बन्धित प्रायोजना ।

(6) उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन अनुसंधान एवं नियोजन संस्थान (स्ट्रेप) की स्थापना सम्बन्धी प्रायोजना ।

(7) कानपुर एवं लखनऊ में समन्वित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली (इन्टीग्रेटेड ट्रान्सपोर्ट सिस्टम) हेतु टेक्नोइकोनामिक फीजिबिलिटी स्टडी तैयार किये जाने की प्रायोजना ।

वर्तमान में प्रभाग में पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड व उसकी स्थायी समिति के विचारार्थ प्राप्त 6 प्रायोजनाओं, व्यय वित्त समिति के विचारार्थ प्राप्त 42 प्रायोजनाओं तथा नोडल समिति के विचारार्थ प्राप्त 19 प्रायोजनाओं का मूल्यांकन कार्य प्रगति पर हैं ।

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC. No D-9490
Date 25-4-97

अध्याय 12

उत्तराखण्ड प्रभाग

12.1—उत्तराखण्ड क्षेत्र के आयोजनागत कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने तथा नियोजन प्रक्रिया को और गतिशील करने के उद्देश्य से राज्य नियोजन संस्थान के अन्तर्गत एक अलग पर्वतीय प्रभाग, जिसका नाम वर्ष 1990 में उत्तरांचल और अब उत्तराखण्ड प्रभाग हो गया है, का गठन एक लघु संस्थान के रूप में अक्टूबर, 1981 में किया गया। इस प्रभाग द्वारा उत्तराखण्ड क्षेत्र के सन्दर्भ में वे सभी कार्य सम्पन्न किये जाते हैं जो संस्थान के अन्य प्रभागों द्वारा प्रदेश के सन्दर्भ में किये जाते हैं। यह लघु संस्थान उत्तराखण्ड विकास विभाग के लिये योजना आयोग का भी कार्य कर रहा है।

12.2—इस प्रभाग के कार्यों का सम्पादन निदेशक के मार्गदर्शन में किया जाता है। इनको सहायतार्थ संयुक्त निदेशक का एक, वरिष्ठ शोध अधिकारी के 3, शोध अधिकारी के 9 तथा तकनीकी सहायकों के 29 पद सृजित हैं। इसके साथ ही दो मण्डलीय इकाइयां एक-एक शोध अधिकारी के नियंत्रण में कुमायूं तथा गढ़वाल मण्डलों में भी स्थापित की गयी हैं जिनका मुख्यालय क्रमशः अल्मोड़ा एवं श्रीनगर में है। ये इकाइयां मुख्यतः मण्डल स्तर पर सर्वेक्षण, विकास कार्यक्रमों का अनुश्रवण तथा मूल्यांकन कार्य निदेशक के मार्गदर्शन में करती हैं।

12.3—प्रभाग द्वारा वर्तमान में किये जा रहे कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :—

1—उत्तराखण्ड विकास विभाग को नियोजन प्रक्रिया में सहायता उपलब्ध कराना :

इस प्रभाग द्वारा उत्तराखण्ड क्षेत्र की वार्षिक, पंचवर्षीय उपयोजनायें तथा जिला योजनाओं को तैयार करने में आवश्यक तकनीकी इनपुट उपलब्ध कराया जाता है और योजनाओं के अनुश्रवण तथा मूल्यांकन द्वारा उनकी गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने के लिये उत्तराखण्ड विकास विभाग को आवश्यक फीड-बैक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त विकास विभाग के सेक्टोरल अधिकारियों के साथ सामन्जस्य बनाकर विभिन्न सेक्टरों की योजनाओं में गुणात्मक सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव द्वारा आयोजित त्रैमासिक समीक्षा बैठकों से सम्बन्धित समस्त कार्य भी सम्पन्न किये जाते हैं।

2—नीति विषयक टिप्पणियां/पेपर तैयार करना :

प्रभाग द्वारा उत्तराखण्ड विकास विभाग की अपेक्षानुसार समय-समय पर नीति विषयक टिप्पणियां तैयार की जाती हैं जिनका उपयोग नियोजन प्रक्रिया तथा नीति निर्धारण में किया जाता है। उत्तराखण्ड के सन्दर्भ में विश्व-विद्यालयों द्वारा किये गये शोध कार्यों के प्रमुख निष्कर्षों का संकलन किया जा रहा है ताकि विकास कार्यों में नीति विषयक निर्णय लेने में सुगमता हो सके। इसी क्रम में प्रभाग द्वारा उत्तराखण्ड की आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में दसवें वित्त आयोग के विचारार्थ एक स्मृति पत्रक तैयार कर प्रस्तुत किया गया। अन्य विभागों द्वारा जो प्रोजेक्ट प्रस्तुत कराये जा रहे हैं उनका परीक्षण कर शासन को संस्तुति उपलब्ध करायी जा रही है।

3—सेक्टोरल अध्ययन :

प्रभाग द्वारा विकास सेक्टरों से सम्बन्धित मूल्यांकन, अनुश्रवण तथा अध्ययन भी किये जाते हैं। इसी क्रम में वानिकी शिक्षा, भूमि संरक्षण, कृषि, रेशम उद्योग तथा हाइड्रम परियोजना आदि महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किये गये। इसके पूर्व भी इस प्रभाग द्वारा अनेक अध्ययन तथा मूल्यांकन किये गये।

4—उत्तराखण्ड क्षेत्र के विकास आंकड़ों का संकलन :

राज्य नियोजन संस्थान के अर्थ एवं संख्या प्रभाग की ही भांति उत्तराखण्ड प्रभाग द्वारा विकास आंकड़ों पर आधारित सांख्यिकीय डायरी जनपदवार विकास संकेतक, विकास खण्डवार विकास संकेतक तथा विकास की प्रवृत्ति से सम्बन्धित संकेतक तैयार किये जाते हैं जिनमें विकास का विभिन्न पहलुओं का संकलन किया जाता है ताकि विभिन्न सूचनायें एक ही स्थान पर तुरन्त उपलब्ध हो सकें और उनका उपयोग क्षेत्र की योजनाओं की संरचना आदि में हो सके। प्रभाग द्वारा विभिन्न सूचनाओं का डाकूमेन्टेशन जनपद एवं विकास खण्डवार किया गया है। इसके अतिरिक्त उत्तराखण्ड क्षेत्र के आठ जनपदों की जनपद परिचय पुस्तिकायें भी तैयार की गयी हैं।

5—उत्तराखण्ड विकास विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों का मार्गदर्शन करना :

क्षेत्रीय कार्यालयों के कार्यकलापों में अपेक्षित गति लाने एवं गुणवत्ता में अभिवृद्धि करने के उद्देश्य से इनके कार्यों का निर्धारण एवं निरीक्षण प्रभाग द्वारा किया जाता है और समय-समय पर आवश्यक निर्देश दिये जाते हैं।

यह प्रभाग उत्तराखण्ड विकास विभाग को विकास की रणनीति, योजनाओं की संरचना, कार्यान्वयन तथा योजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित किये जाने हेतु अनुश्रवण एवं मूल्यांकन तथा तकनीकी एवं विकास कार्यों से सम्बन्धित मदों पर फीड-बैक उपलब्ध कराता है।

12.4—आलोच्य वर्ष 1995-96 में (नवम्बर, 1995 तक) प्रभाग द्वारा किये गये कार्यों का विवरण निम्नानुसार है :—

1—सांख्यिकीय डायरी, 1995

2—विकास खण्डवार विकास संकेतक, 1995

3—जनपदवार विकास संकेतक, 1995

4—सघन कृषि योजना का मूल्यांकन।

5—जवाहर रोजगार योजना/सुनिश्चित रोजगार योजना का मूल्यांकन अध्ययन।

6—दुग्ध विकास की 5 परियोजनाओं का मूल्यांकन।

7—भूमि संरक्षण परियोजना का मूल्यांकन।

8—भूमिगत जल परियोजना का मूल्यांकन।

9—दशम् वित्त आयोग से सम्बन्धित लोक निर्माण विभाग, जल निगम, सिंचाई, झील विकास प्राधिकरण परियोजनाओं का मूल्यांकन।

12.5—वर्ष की शेषावधि में सम्पन्न किये जाने वाले सम्भावित कार्यों/अध्ययनों का विवरण निम्नवत् है :—

1—उत्तराखण्ड क्षेत्र के प्रमुख विभागों की दीर्घकालीन योजना बनाने का कार्य।

2.—विभिन्न विकास विभागों से प्राप्त परियोजनाओं का परीक्षण एवं मूल्यांकन।

3—उत्तराखण्ड क्षेत्र में जनांकिकी से सम्बन्धित सर्वेक्षण कार्य तथा आंकड़ों का विश्लेषण।

4—दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ श्रीनगर द्वारा किये गये कार्यों का मूल्यांकन अध्ययन।

5—उत्तराखंड की वार्षिक उपयोजना 1996-97 बनाने का कार्य।

12.6—आलोच्य वर्ष में निम्न प्रकाशन मुद्रणाधीन रहे :—

1—सांख्यिकीय डायरी, 1995

2—विकास खण्डवार विकास संकेतक, 1995

3—जनपदवार विकास संकेतक, 1995

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Sri Aurobindo Marg,
New Delhi-110016
DOC, No D-9490
Date 25-4-97

परिशिष्ट 1

राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश का व्यय विवरण

(हजार रुपयों में)

मद	वर्ष 1994–95 का वास्तविक व्यय				वर्ष 1995–96 का अनुमानित व्यय			
	वेतन	भत्ते तथा मानदेय	अन्य आकस्मिक व्यय	योग	वेतन	भत्ते तथा मानदेय	अन्य आकस्मिक व्यय	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9
(क) आयोजनेत्तर—								
1—अर्थ एवं संख्या प्रभाग	31263	39810	6676	77749	34380	53364	8791	96535
2—विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग	3881	4623	554	9058	4450	6400	388	11238
3—मूल्यांकन प्रभाग	3620	3927	623	8170	3465	4270	500	8235
4—प्रशिक्षण प्रभाग	949	1184	289	2422	1100	1660	575	3335
5—अन्य 6 नवीन प्रभाग	6676	8646	566	15888	7225	9645	695	17565
(अ) उत्तराखण्ड प्रभाग	1252	1501	225	2978	1500	2575	330	4405
(ब) अन्य 5 प्रभाग	5424	7145	341	12910	5725	7070	365	13160
योग (क)..	46389	58190	8708	113287	50620	75339	10949	136908
(ख) आयोजनागत—								
1—अर्थ एवं संख्या प्रभाग	643	943	7329	8915	813	1314	7355	9482
2—विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग	1095	1384	753	3232	1394	2126	1540	5060
3—मूल्यांकन प्रभाग	..	..	..	..	..	..	..	..
4—प्रशिक्षण प्रभाग	..	..	..	..	..	..	..	..
5—अन्य 6 नवीन प्रभाग	..	..	..	..	..	..	..	..
(अ) उत्तराखण्ड प्रभाग	..	..	43	43	..	10	125	135
(ब) अन्य 5 प्रभाग	..	..	..	..	..	..	..	..
योग (ख) ..	1738	2327	8125	12190	2207	3450	9020	14677
(ग) केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित								
1—अर्थ एवं संख्या प्रभाग	..	..	..	..	..	..	..	..
2—विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग	..	..	..	..	..	..	..	..
3—मूल्यांकन प्रभाग	..	..	..	..	..	..	..	..
4—प्रशिक्षण प्रभाग	..	..	..	..	..	..	..	..
5—अन्य 6 नवीन प्रभाग	..	..	..	..	..	..	..	..
(अ) उत्तराखण्ड प्रभाग	..	..	..	..	..	..	..	..
(ब) अन्य 5 प्रभाग	..	..	..	..	..	..	..	..
योग (ग) ..	..	..	..	..	..	..	..	..
महायोग (क+ख+ग)	48127	60517	16833	125477	52827	78789	19969	151585

परिशिष्ट 2

प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा किये जाने वाले मूल्यांकन अध्ययनों पर विचारार्थ

शासन स्तरीय बोर्ड एवं समितियां–संगठन, कार्यक्षेत्र एवं प्रक्रिया

1—पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड एवं इसकी स्थायी समिति का संगठन एवं कार्य क्षेत्र :

पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड का गठन केन्द्रीय पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड के आधारभूत निर्देशों के अनुरूप जनवरी, 1977 में राज्य सरकार द्वारा किया गया था। पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड का मुख्य कार्य प्रदेश के सार्वजनिक क्षेत्र में किये जाने वाले पूंजी विनियोग प्रस्तावों का परीक्षण करके अनुमोदन/संशोधन/अस्वीकृति हेतु अपनी संस्तुति देना है। पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड प्रदेश में नये निगमों की स्थापना की आवश्यकता का परीक्षण भी करता है।

पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड के गठन के उपरान्त इसकी सदस्यता, क्षेत्र व कार्य में अनेक संशोधन किये जा चुके हैं। इसके साथ ही पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड के विचारार्थ प्राप्त पूंजी विनियोजन प्रस्तावों की अधिक संख्या को देखते हुए सितम्बर, 1985 में एक स्थायी समिति का गठन किया गया जिसे पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड की स्थायी समिति कहा गया। इसकी स्थायी समिति का संगठन, कार्य क्षेत्र एवं कार्य प्रणाली निम्नवत् है—

पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड :

बोर्ड की सदस्यता निम्नानुसार है—

(1) मुख्य सचिव, अध्यक्ष।
(2) कृषि उत्पादन आयुक्त, सदस्य।
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, सदस्य।
(4) प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, सदस्य।
(5) प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, सदस्य।
(6) महानिदेशक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, सदस्य।
(7) प्रमुख सचिव/सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, सदस्य।
(8) प्रमुख सचिव/सचिव, ऊर्जा विभाग, सदस्य।
(9) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड विकास विभाग, सदस्य (उत्तराखण्ड क्षेत्र की प्रायोजनाओं हेतु)।
(10) प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग, सदस्य।
(11) प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशासकीय विभाग, सदस्य (जहां से प्रस्ताव प्राप्त हुआ हो)।
(12) निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग (राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश), सचिव।

पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड का कार्य व क्षेत्र :

बोर्ड का क्षेत्र एवं कार्य निम्नानुसार है—

सार्वजनिक उद्यमों, स्टेट्यूटरी निगमों, सहकारी संस्थाओं, स्वायतशासी निकायों (स्थानीय निकायों को छोड़कर) के सभी विनियोजन प्रस्तावों पर विचार करना, जिनमें कुल विनियोजन पांच करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक हो।

संयुक्त/सहायतित क्षेत्र के उन सभी प्रस्तावों पर विचार करना, जिनमें राज्य सरकार अथवा उसकी किसी संस्था द्वारा अंशपूंजी के रूप में एक करोड़ रुपये या अधिक का विनियोजन किया जाना हो।

मूल स्वीकृत अनुमानित लागत के पुनरीक्षित अनुमानित लागत प्रस्तावों पर विचार करना, जिनमें पुनरीक्षित अनुमानों में मूल अनुमानों की अपेक्षा निम्नानुसार अधिक धनराशि लगने की सम्भावना हो :—

मद	मूल लागत में वृद्धि की अनुमान्य सीमा
(अ) प्रायोजनायें जिनकी मूल अनुमानित लागत 50 करोड़ रु0 तक हो	15 प्रतिशत
(ब) प्रायोजनायें जिनकी मूल अनुमानित लागत 50 करोड़ रुपये से 100 करोड़ रुपये के बीच हो	7.50 करोड़ रुपये तथा 50 करोड़ रु0 से अधिक बढ़ी हुई लागत का 12.5 प्रतिशत।
(स) प्रायोजनायें जिनकी मूल अनुमानित लागत 100 करोड़ रु0 से अधिक हो	13.75 करोड़ रु0 तथा 100 करोड़ रु0 के ऊपर बढ़ी हुई लागत का 7.5 प्रतिशत।

उक्त के अतिरिक्त यदि निम्न पैरामीटर्स में भी परिवर्तन हो जाता है तो पुररीक्षित प्रायोजना को पी0आई0 बी0 के अनुमोदनार्थ लाना आवश्यक होता है--

(1) प्रोडक्ट मिक्स में परिवर्तन ।

(2) अधिष्ठापित क्षमता में परिवर्तन तथा

(3) वित्तीय व्यवस्था में परिवर्तन ।

कुछ प्रायोजनायें ऐसी भी हो सकती हैं, जो पी0 आई0 बी0 की स्थापना के पूर्व सरकारी विनियोजन के अन्तर्गत प्रारम्भ की गयी हो, परन्तु अपनी मूल लागत के आधार पर पी0आई0बी0 के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत आती हैं। यदि ऐसी प्रायोजनाओं की पुनरीक्षित लागत मूल लागत से 25 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो जाय तो पुनरीक्षित प्रायोजना पी0 आई0 बी0 के समक्ष प्रस्तुत की जाती है ।

कम्पनी एक्ट, 1956 के प्रस्तर 6 (17) के अन्तर्गत गठित किये जाने वाले नये निगमों एवं सहायक कम्पनियों से सम्बन्धित समस्त प्रस्तावों पर विचार करना, चाहें उनमें राज्य सरकार और/अथवा उसके किसी प्रतिष्ठान द्वारा कितनी भी धनराशि का विनियोजन प्रस्तावित हो ।

पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड की स्थायी समिति :

स्थायी समिति की सदस्यता निम्नानुसार है--

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग, अध्यक्ष ।

(2) प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग, सदस्य ।

(3) महानिदेक, सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो, सदस्य ।

(4) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड विकास विभाग, सदस्य (उत्तराखण्ड क्षेत्र की प्रायोजनाओं हेतु) ।

(5) प्रमुख सचिव/सचिव, संस्थागत वित्त विभाग, सदस्य ।

(6) प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशासकीय विभाग, सदस्य (जहां से प्रस्ताव प्राप्त हुआ हो) ।

(7) प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण विभाग, सदस्य ।

(8) निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, सचिव,
राज्य नियोजन संस्थान, उ0 प्र0 ।

पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड की स्थायी समिति का क्षेत्र एवं कार्य :

समिति का क्षेत्र एवं कार्य निम्नानुसार है--

सार्वजनिक उद्यमों, स्टेट्यूटरी निगमों, सहकारी संस्थाओं, स्वायतशासी निकायों (स्थानीय निकायों को छोड़कर) के उन सभी पूंजी विनियोजन प्रस्तावों पर विचार करना जिनमें कुल विनियोजन एक करोड़ रुपये या इससे अधिक हो, परन्तु पांच करोड़ रुपये से कम हो ।

संयुक्त/सहायतित क्षेत्र के उन सभी प्रस्तावों पर विचार करना जिनमें राज्य सरकार अथवा इसकी किसी संस्था द्वारा अंशपूंजी के रूप में 50 लाख रुपये से एक करोड़ रुपये तक का विनियोजन किया जाना हो और प्रस्ताव की कुल अनुमानित लागत 10 करोड़ रुपये से अधिक न हो ।

मूल स्वीकृत लागत में वृद्धि हो जाने पर पुनरीक्षित लागत के उन प्रस्तावों पर विचार करना जो मूल अनुमानों की अपेक्षा 15 प्रतिशत या अधिक हो ।

प्रायोअनाओं को पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड/स्थायी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत करने की पद्धति :

सभी पूंजी विनियोजन प्रस्ताव सम्बन्धित सार्वजनिक उद्यमों, स्टेट्यूटरी निगमों, सहकारी संस्थाओं/स्वायतशासी निकायों (स्थानीय निकायों को छोड़कर) के निदेशक मण्डलों/गवर्निंगबाडीज द्वारा स्वीकृति के पश्चात राज्य सरकार के सम्बन्धित प्रशासकीय विभागों को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये जाते हैं । प्रशासकीय विभाग पूंजी विनियोजन प्रस्तावों का परीक्षण करके अपनी टिप्पणी को तीन प्रतियों के साथ फिजिबिलिटी रिपोर्ट की तीन प्रतियां मूल्यांकन हेतु पी0आई0बी0 सचिवालय अर्थात् प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग को भेजते हैं । इसके साथ ही साथ प्रशासकीय विभाग अपनी परीक्षण टिप्पणी तथा फिजिबिलिटी रिपोर्ट की एक-एक प्रति पब्लिक इन्वेस्टमेन्ट बोर्ड अथवा उसकी स्थायी समिति के सभी सदस्यों को भी उपलब्ध कराते हैं । प्रशासनिक विभाग अपनी परीक्षण टिप्पणी में उस विभाग हेतु आवंटित वार्षिक योजना परिव्यय एवं बजट में से प्रायोजना के लिये वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराने की सम्भावना का विशेष रूप से उल्लेख करते हैं । प्रशासकीय विभाग निम्न के सम्बन्ध में भी अपनी राय देते हैं :

(1) राज्य सरकार की नीतियों से प्रायोजना का तालमेल एवं आर्थिक तथा सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति में प्रायोजना का अभिज्ञान ।

(2) प्रायोजना को पब्लिक सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र/सहायतित क्षेत्र में लेने अथवा निजी क्षेत्र के लिये छोड़ देने के सम्बन्ध में सुझाव ।

पी0आई0बी0 सचिवालय (प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग) प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करके पी0 आई0 बी0 अथवा स्थायी समिति, जैसी भी स्थिति हो, के सभी सदस्यों को सामान्यतया बैठक के दस दिन पूर्व उपलब्ध कराता है । प्रायोजनाओं का मूल्यांकन कार्य प्रशासनिक विभाग से पी0 आई0 बी0 सचिवालय में प्राप्त होने की तिथि से समस्त वांछित सूचनायें उपलब्ध हो जाने पर दो माह केअन्दर पूर्ण कर लिया जाता है

नये निगमों अथवा सहायक कम्पनियों की स्थापना हेतु प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो द्वारा भी किया जाता है तथा ब्यूरो से प्राप्त टिप्पणी को भी पी0आई0बी0 सचिवालय द्वारा तैयार की गयी मूल्यांकन टिप्पणी के साथ पी0आई0बी0 के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है।

पी0आई0बी0 अथवा उसकी स्थायी समिति प्रायोजनाओं पर स्वीकृति प्रदान नहीं करते हैं बल्कि राज्य सरकार को प्रायोजनाओं के लिये जाने के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति देते हैं । पी0आई0बी0 अथवा स्थायी समिति के सकारात्मक निर्णय की स्थिति में सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग का यह दायित्व होता है कि प्रायोजना की लागत का विस्तृत आगणन तैयार कराकर पी0आई0बी0 अथवा स्थाई समिति की संस्तुति की तिथि से तीन माह के भीतर वित्त विभाग के परामर्श से प्रायोजना पर राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त कर लें ।

पी0आई0बी0 सचिवालय उन सभी प्रायोजनाओं का पुनरीक्षण कार्य भी करता है जिनका क्रियान्वयन पी0आई0 बी0/स्थायी समिति के अनुमोदन की तिथि के छः माह पश्चात् भी प्रारम्भ नहीं हो पाता है । इस हेतु सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग/निगम निर्धारित प्रपत्र पर अपनी रिपोर्ट पी0आई0बी0 सचिवालय को भेजते हैं ।

2--व्यय वित्त समिति का संगठन तथा कार्यक्षेत्र :

नये व्यय के प्रस्तावों का भली प्रकार परीक्षण करने एवं प्रक्रिया में सुधार करने की दृष्टि से अप्रैल, 1977 में व्यय वित्त समिति का गठन किया गया था ताकि वरिष्ठ सचिवों के स्तर पर सामूहिक विचार-विमर्श द्वारा व्यय के महत्वपूर्ण प्रस्तावों के सभी पहलुओं पर जांच करके अन्तिम निर्णय तत्परता से लिया जा सके ।

व्यय वित्त समिति की सदस्यता :

समिति की सदस्यता निम्नानुसार है—

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग,	अध्यक्ष ।
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग	सदस्य (मैदानी क्षेत्र की प्रायोजनाओं हेतु)
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड विकास विभाग	सदस्य (उत्तराखण्ड क्षेत्र की प्रायोजनाओं हेतु)
(4) प्रमुख सचिव/सचिव, पर्यावरण एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग	सदस्य
(5) प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशासकीय विभाग	सदस्य (जहां से प्रायोजना प्राप्त हुई हो)
(6) निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0 प्र0	सदस्य

समिति के संयोजक सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग के संयुक्त सचिव, उप सचिव या अनुसचिव होते हैं ।

व्यय वित्त समिति का क्षेत्र व कार्य :

समिति के सम्मुख व्यय के ऐसे सभी आयोजनागत प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत किये जाते हैं जिनमें व्यय की किसी एक इकाई पर 20 लाख रुपये या उससे अधिक का वार्षिक आवर्तक व्यय, या एक करोड़ रुपये, या उससे अधिक

का अनावर्तक व्यय निहित हो। ऐसे प्रस्ताव समिति के सम्मुख रखने की आवश्यकता नहीं होती है जिसके सम्बन्ध में वित्त विभाग संतुष्ट हो कि जो सूचना उपलब्ध करायी गयी है उसके आधार पर प्रस्ताव का निस्तारण वे स्वंय कर सकते हैं, परन्तु एक करोड़ रु0 या उससे अधिक लागत की नयी आयोजनागत योजनायें व्यय वित्त समिति के सम्मुख अवश्य प्रस्तुत की जाती है।

समिति द्वारा ऐसे प्रस्तावों की समीक्षा बजट पारित होने के बाद भी की जाती है जिन्हें समयाभाव के कारण बिना पूर्व परीक्षण के बजट में सम्मिलित करा लिया जाता है। साधारणतया समिति अनुपूरक अनुमानों से सम्बन्धित प्रस्तावों पर तब तक समीक्षा नहीं करती है जब तक प्रस्ताव विशेष "नये व्यय" की श्रेणी में न आता हो। समिति के सम्मुख पूर्व स्वीकृति से प्रस्ताव भी रखे जाते हैं जिनके "स्कोप" व "कन्टेन्टस" में सारभूत परिवर्तन हो जाने से अनुमानों का परीक्षण नये सिरे से आवश्यक हो जाता है, परन्तु आगणन पुनरीक्षण के ऐसे प्रस्ताव समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं जिनमें मूल अनुमानों से 20 प्रतिशत या उससे अधिक बढ़ोतरी विहित हो तथा अतिरिक्त व्यय 25 लाख रुपये से कम न हो। जिन प्रस्तावों पर नियोजन विभाग/उत्तराखण्ड विकास विभाग की पूर्ण या आंशिक सहमति की आवश्यकता होती है उसे प्राप्त करने के बाद ही प्रस्ताव विशेष को समिति के सम्मुख रखा जाता है।

व्यय वित्त समिति की कार्य प्रक्रिया :

व्यय वित्त समिति अपनी सुविधानुसार तथा कार्य की मात्रा को देखते हुए अपनी बैठकें आयोजित करती हैं। यदि किसी प्रस्ताव विशेष के निस्तारण हेतु किसी अन्य अधिकारी की आवश्यकता समझी जाती है तो समिति सम्बन्धित अधिकारी को परामर्श के लिये बुला सकती है। समिति के समक्ष व्यय के प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किये जाते हैं। सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग अपने स्तर पर प्रस्तावों का पूर्ण परीक्षण करके निर्धारित प्रारूप में आवश्यक ब्योरा देकर उनकी पांच प्रतियां प्रमुख सचिव/सचिव नियोजन की अथवा प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड विकास विभाग को (जैसी स्थिति हो) तथा पांच प्रतियां प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग को भेजते हैं और यह कार्यवाही व्यय वित्त समिति की प्रस्तावित बैठक के 15 दिन पूर्व कर ली जाती है। व्यय वित्त समिति की परिधि में आने वाली समस्त परियोजनाओं का विस्तृत परीक्षण निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग द्वारा कराये जाने के बाद ही उसे उक्त समिति में प्रस्तुत किया जाता है। व्यय वित्त समिति की बैठकों से पूर्व समस्त प्रस्तावों पर टिप्पणियों की प्रतियां, जिन पर बैठकों में विचार होता है, समिति के सदस्यों को बैठकों से पूर्व उपलब्ध करा दी जाती है। प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन अथवा प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड विकास विभाग (जैसी स्थिति हो) एवं प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणी तीन प्रतियों में प्रशासकीय विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को शीघ्रातिशीघ्र प्रेषित कर देते हैं। प्रशासकीय विभाग उठायी गयी बातों के विषय में यथासम्भव नियोजन/उत्तराखण्ड विकास विभाग तथा वित्त विभाग की जिज्ञासाओं का समाधान बैठक से पूर्व करने का प्रयत्न करते हैं ताकि बैठक में उठाये गये समस्त बिन्दुओं पर चर्चा हो जाय। व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रस्तावों का परीक्षण पुनः सामान्य प्रक्रियानुसार पत्रावलियों में नियोजन/उत्तराखण्ड विकास अथवा वित्त विभाग में नहीं होता है :

समिति के निर्णय पर, जहां आवश्यक होता है, रूल्स आफ बिजनेस के अनुसार उच्चादेश प्राप्त करने होते हैं।

3—नोडल समिति का संगठन तथा कार्य क्षेत्र :

विश्व बैंक अथवा अन्य वाह्य स्रोतों से सहायता प्राप्त करने हेतु नयी प्रायोजनाओं पर विचार करने के लिये एक स्थायी समिति (नोडल समिति) का गठन जुलाई, 1983 में किया गया था। बाद में जून, 1986 में इसके संगठन में कुछ संशोधन किये गये।

नोडल समिति की सदस्यता :

नोडल समिति की सदस्यता निम्नवत् है :—

(1) प्रमुख सचिव/सचिव, नियोजन विभाग	अध्यक्ष
(2) प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(3) प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड विकास विभाग	सदस्य
(4) प्रमुख सचिव/सचिव, प्रशासकीय विभाग (जहां से प्रायोजना प्राप्त हुई हो)	सदस्य
(5) निदेशक, प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश।	सचिव

नोडल समिति की कार्य प्रक्रिया :

विश्व बैंक एवं अन्य वाह्य स्रोतों से सहायता प्राप्त करने के प्रस्ताव, फिजिबिलिटी रिपोर्ट आवश्यक विवरण सहित प्रशासकीय विभाग द्वारा नियोजन विभाग एवं वित्त विभाग को भेजे जाते हैं । इन प्रस्तावों की एक प्रति निदेशक प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उत्तर प्रदेश को भी भेजी जाती है । उत्तराखण्ड क्षेत्र की प्रायोजना के सम्बन्ध में एक प्रति प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड विकास विभाग को प्रेषित की जाती है । प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग फिजिबिलिटी रिपोर्ट का परीक्षण कर अपनी टिप्पणी समिति के समस्त सदस्यों को फिजिबिलिटी रिपोर्ट की प्राप्ति के एक मास में प्रस्तुत करते है ।

समिति की बैठक आवश्यकतानुसार आयोजित की जाती है । समिति द्वारा प्रायोजनाओं के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित प्रशासकीय विभाग को अवगत करा दिया जाता है ।

पी० एस० यू० पी०—4 अर्थ एवं संख्या—24-2-95—1600, प्रतियां—(पी० डी०) ।

NIEPA DC
D09490